

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष
(प्रधान न्याय पीठ नई दिल्ली)

माननीय एस. के. सिंह अध्यक्ष

माननीय अरुण कुमार त्यागी न्यायिक सदस्य

माननीय डॉ. ए सेंथिल वेल पर्यावरण सदस्य

मूल

आवेदन-285/2023

वर्ष-2023

मेघराज सिंह

आवेदक/वादी

बनाम

बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य 12 ----- प्रतिवादी

माननीय प्रधान बेंच के समक्ष दिनांक 06/11/2023 को सुनवाई हेतु आवेदन

विषय - माननीय प्रधान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 /04 /2023 के आदेश में गठित टीम की तक मीटिंग नहीं, जिला अधिकारी कानपुर देहात ने आदेश संख्या 140 / ओ एस डी - का० दे०/2023 दिनांक -26 अप्रैल 2023 के तहत नई टीम गठित कर उनके द्वारा जारी आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं वही मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों और दिनांक दिनांक 21,26 अप्रैल 2023 प्रथम आदेश अनुपालन कराने वही माननीय NGT के आदेश दिनांक 20/07/2023 को अनुपालन कराने हेतु दिनांक 06/10/2023 को श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, कार्यालय जिला अधिकारी जनपद कानपुर देहात, श्रीमान उत्तर प्रदेश पोलूशन कण्ट्रोल बोर्ड लखनऊ, श्रीमान डायरेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

तक कोई मीटिंग और कार्यवाही नहीं मेरी याचिका को तक पढ़े रिपोर्ट पढ़े रिपोर्ट प्रस्तुत करने वही 06 उपजिला अधिकारियों और तहसीलदारों ने जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं करने वही तालाब और तालाब निकासी जमीनो पर प्रधान मंत्री आवास बनवाकर अतिक्रमण कराये जाने जिन तालाबों पर फसल खड़ी उनको खाली दर्शाये जाने, वही तहसीलदार सिकंदरा ने कई तालाबों के धारा 67 के मुकदमा समाप्त कर माफियाओ को संरक्षण देने वही जिला अधिकारी मुख्य सचिव को दिनांक 06/10/2023 को आपके आदेश के साथ प्रस्तुत करने के उपरान्त आज तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, बिलासपुर बांगर के तालाबों की शिकायत के उपरान्त प्रदूषित रिपोर्ट आने के उपरान्त उपजिला अधिकारी द्वारा फर्जी रिपोर्ट से माफियाओ को संरक्षण देते प्रधानमंत्री आवास बनवाना अब बार बार जिला अधिकारी को फर्जी रिपोर्ट भेज केवल खाना पूर्ति करने प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने और दोसियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही वावत वही जिला अधिकारी से सन 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागावार अभिलखों में दर्ज तालाब/ झील/अन्य बाटर बॉडीज की गाटा बार स्थिति को मंगवा जाने अतिक्रमण कारियो और अतिक्रमण कराने वाले

अधिकारियो के विरुद्ध उचित के पॉलुटर पे सिद्धांत के तहत उचित कार्यवाही आपके आदेशों को जानबूझकर पालन न करने वालो को तलब करवावत उचित कार्यवाही वावत

मथुरा के जवाहर बाग हिंसा के छह साल पूरे हो गए हैं. देश में चमड़े की मुद्रा और एक पैसा लीटर पेट्रोल की मांग करने वाले रामवृक्ष यादव समेत 27 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव भी शहीद हो गए थे, यदि समय से कार्यवाही करते यह घटना नहीं होती सोनभद्र में जमीनी

विबाद में 09 हत्या मड़ौली में दो लोगो की जलाकर हत्या और वही देवरिया काण्ड जैसी कई घटनाये आये दिन घटित हो रही ।

Iqbal Ahmad Son Of Ismail And Ors. vs Deputy Director Of Cosolidation ... on 30 August, 2007 के केश में माननीय उच्च न्यायालय ने प्राचीन काल में तालाबों झीलों पोखरो और अन्य बाटर बाँडी को बचाये जाने वाले दर्शन को प्रकट किया

The question of maintenance of water channels, water bodies, Ponds, Tanks, Pokhar, Talab etc. stemmed for consideration of the Court in the instant writ petition in the course of hearing. From the ancient time, the water reservoir in the shape of ponds, lake and various other water bodies were created and maintained to cater to the needs of homo sapiens. It is eloquent from history that in Indus civilization, water reservoirs consisting of tanks, ponds, lake etc. furnished the main source to cater to the needs of potable water. It is further eloquent from the history that during Chandra Gupta and Kautilya period and also during medieval period, mode of preserving water in reservoirs was adopted by way of rain harvesting and utmost attention was paid to maintenance of water reservoirs which were the only safe mode to be utilized for potable water. It has revealed from reports that out of total water available on earth, the drinking water is assessed to be only 2.7% and the water to the extent of 66% flows down to the sea for want of any proper alternative to fall back upon for its preservation. It is also undeniable that entire world including part of India is reeling under water crisis. Bundelkhand area of Uttar Pradesh is the worst affected due to being scantily rain-fed. The founding fathers of our Constitution foresaw the looming crisis and introduced directive principles of State policy in our Constitution which are enshrined in Part IV of the Constitution. Articles 38, 39B and 48A envisaged that it was the responsibility of the State to protect environment, safe guard forest and wild life of the country and take all effective steps. Articles 48A and 51(1)(g) of the Constitution being relevant are quoted below.

Besides the above, the Judgment of the Apex Court in Hinchalal Tiwari also served as a beacon light to guide this Court on the path of taking steps to

redeem the ponds, tanks etc which are lying in disuse or in derelict state in our countryside which have been called as material water resources, a national wealth of the community and nature's bounty by the Apex Court which subserve the need to maintain delicate ecological balance. The Apex Court also called for vigil as best protection against knavish attempts to seek allotment in non-abadi sites. The case in hand was the appropriate case in view of controversy involved herein for being taken up for enforcing the peremptory directions of the Apex Court. इन सब सिद्धांतों को पढ़ते हुए संवधित अधिकारियों को 2010 से प्रयासरत है परन्तु अधिकारियों ने कोई कार्यवाही तो नहीं केवल रिश्वत लेकर भूमाफियाओं से रिश्वत अतिक्रमण कराया, इतना ही नहीं बिलासपुर बांगर के तालाबों को फर्जी खाली दिखाया वही तालाबों पर अतिक्रमण कराया वही जिले तालाबों की स्थिति बहुत बदतर कि सन 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागावार अभिलेखों में दर्ज तालाब/ झील/अन्य बाटर बाँडीज की गाटा बार स्थिति लगभग ८५०० के आस आस है जिसमें हजारों तालाब गायब हो गए ।

प्रार्थी तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत है,

O.A. संख्या 285/2023 की याचिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की प्रधान बेंच द्वारा दिनांक 19/04/2023 को विस्तृत आदेश देते हुए जिला अधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में श्री मान उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड

श्री मान डायरेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्यपालन विभाग उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया

जिसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य तो सदस्य आज तक मीटिंग में शामिल नहीं हुए न ही जिला अधिकारी महोदय ने अध्यक्षता में मीटिंग भी नहीं हुई ।

वही जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी -

का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड कानपुर देहात गठित के परन्तु मैंने याचिका में अन्य सदस्य भी बनाये उनको शामिल नहीं किया गया ।

इसके अनुपालन में मैं भी अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात से ऑनलाइन मीटिंग की बात की परन्तु नहीं आहुति की गई इसके उपरान्त 01 जून 2023 को बैठक हुई जिसमें मैंने तालाबों की वारे में अवगत कराया कि इतने है परन्तु मत्स्य अधिकारी 1015 ही तालाब बता रहे थे

जब मेरी उपस्थिति में मीटिंग हुई उसके उपरांत पत्रांक संख्या संख्या 1063/डीएलआरसी-का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, के तहत अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात ने आदेश पारित किया कि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद कानपुर देहात में स्थित तालाबों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों/ तहसीलदारों से अपनी अपनी तहसील

क्षेत्र में स्थिति तालाबों के गाव का नाम, कुल तालाबों की संख्या व क्षेत्रफल, अतिक्रमण युक्त तालाब, अतिक्रमण तालाब तथा तथा अवशेष तालाब के प्रारूप पर तत्काल निरीक्षण कराकर तहसीलवार सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए डीएलआरसी को निर्देश दिए गए

उसके अतिरिक्त मेघराज सिंह द्वारा कतिपय बिंदु भी उठाये गए हैं जिसमें अतिक्रमण एवं कतिपय प्रार्थना पत्र को पूरी तरह निस्तारण होने का तथ्य है जनपद के समस्त तहसीलों से उपरोक्त प्रारूप पर सूचनाएं प्राप्त होने पर समिति की जंगली बैठक अग्रिम आदेशों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पन्न होगी

इसके उपरांत अपर जिला अधिकारी ने समस्त तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और समस्त तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित पत्र संख्या 1062/डीएलआरसी-

का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023,

1061/डीएलआरसी-

का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023 जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई

न ही इस पर रिपोर्ट आज तक तहसीलदारों और उपजिला अधिकारियों ने उपलब्ध कराया

परन्तु अपर जिला अधिकारी महोदय के इस आदेश का पालन नहीं हुआ वही इसके उपरांत पु
नः डीएलआरसी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1087/डीएलआरसी-

का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023, 1088/डीएलआरसी-
का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023 के तहत सभी तसीलो के उपजिला अ
धिकारियों और तहसीलदारों को अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरक पत्र भेजे
गए इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके उपरांत जो रिपोर्ट जिला अधिकारी कानपुर देहात द्वारा Ref .No.: 2366/R-166/
2023 दिनांक 16-07

2023 को श्रीमान रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर
निक्स मार्ग नई दिल्ली को भेजी गई उस रिपोर्ट को जिला अधिकारी के द्वारा भेजी गई उस
का सम्मान करता हूँ

परन्तु अवलोकन करने पर स्वीकार नहीं है जो कि गलत रूप से प्रस्तुत कर माननीय राष्ट्रीय
हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को अभिलेखी
य रिपोर्ट में बनाकर प्रस्तुत कर दी परन्तु हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई,

माननीय NGT में जाने के पूर्व कई प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी कानपुर देहात को दिए थे
उन पर कार्यवाही न होएं के बाद ही में माननीय NGT के समक्ष याचिका दाखिल की थी
जिस पर 19 अप्रैल 2023 के आदेश के उपरांत मेरी द्वारा प्रस्तुत याचिका न तो जिला
अधिकारी ने पढ़ी, न उनके द्वारा गठित टीम ने पढ़ी, NGT के आदेश में दो अन्य सदस्यों
को जिला अधिकारी महोदय ने उनको पार्टी बनाने को मुनासिब नहीं समझा न उसमें
वर्णित पूर्व के प्रार्थना पत्रों को पढ़ा गया न ही उसका निस्तारण कराया गया केवल और
केवल ऑफिस में कोई पूर्व की रखी रिपोर्ट को भेज कर फर्जी निस्तारण किया गया

जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें केवल तहसील सिकंदरा कानपुर देहात और डेरापुर तहसील के प
त्र संलग्न है जिसमें वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर के तीनो तालाबों से अतिक्रमण हटाए
जाने हेतु मांग की वही अन्य तालाब जो गायब कर दिया गया उनको याचिका में वर्णित

करते हुए प्रस्तुत किये गए उसमें पूर्व के कई प्रार्थना पत्रों संलग्न करते हुए प्रस्तुत की गई थी जसि पर दिनांक 19/04/2023 को आज तक माननीय NGT के आदेश पर गठित समिति ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं न ही उस पर कार्यवाही की गई

वही उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के पत्र के संदर्भ ग्रहण करने का कृष्ट करे वही उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या के तहत अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएल आरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात की रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट है अपर जिला अधिकारी प्रशासन कानपुर देहात ने NGT के आदेश पर जिला अधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन में खुद गया और दो आदेश सभी तहसीलों के उप जिला अधिकारी समस्त तहसील, तहसीलदार समस्त को दो पत्र जारी किये उनको किसी तहसीलदार और उपजिला अधिकारियों ने पालन नहीं किये

तहसीलो के किसी उपजिला अधिकारी महोदयों तहसीलदार महोदयों और अन्य ने के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत तो की गई परन्तु जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई केवल कागजों में रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट दस दिन में बनाकर भेजी अन्य तहसील के उपजिला अधिकारियों ने अपने पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये और रिपोर्ट भेजी गई

जब कि हकीकत में जमीनीस्तर पर कोई जांच नहीं हुई इससे यह रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही

आपके समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व मेरे द्वारा तालाबों को बचाने हेतु NGT order on dated 18-11-2020 O.A. 325/2015 court No.-02 Item No. -01 Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Versus Union of India &

Ors. अनुपालन हेतु पत्र प्रस्तुत किये आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार भवन आई एन ए नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों के उपरान्त आदेश जारी किया आज तक उस आदेश पर कोई आदेश पालन नहीं कराया गया वही याचिका में दो गाँवों बिलासपुर बांगर तहसील सिकंदरा कानपुर देहात के तीन और अलीपुर रामहार के तालाबों के अतिक्रमण के संदर्भ में याचिका में वर्णित किया परन्तु उसके संदर्भ में जमीनी हकाकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

जब कि पेज संख्या -361,

362 पर तहसीलदार रसूलाबाद के अलीपुर रामहार गाँव में सभी तालाब खाली दिखाए गए परन्तु हकीकत में अतिक्रमण है मेरे आवेदन में बिलासपुर बांगर में तालाबों पर हुए अतिक्रमण एक तालाब जो गायब उसको रिपोर्ट में कही नहीं दिखाया जब कि तालाब जल निकासी को लेखपाल संजीव सचान ने रिश्वत लेकर तालाब जल निकासी को रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई वही पूर्व प्रधान ने पहले तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करने हेतु रूप सिंह को हैण्डम्प नहीं लगा सके जबकि रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की पुलिया पर अतिक्रमण किया गाटा संख्या 539 की जमीन पर कब्जा कराया गया ~

वही जब इस पर इस प्रधान हैडपम्प नहीं लगा पाए उस बाहर सड़क पर 539 और 227 जो रास्ता दर्ज उस पर प्रधानमंत्री आवास उस सुनीता के नाम देकर उस स्थान अतिक्रमण करने के लिए दे दिया कई पत्र लिखने के बाद इसमें राजस्व विभाग, पुलिस थाना अमरहाट और लोक निर्माण विभाग ने मिलकर तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करा दिया

उसके उपरान्त मेरे गाँव के तालाब 511 जिसको 2011 से इस तालाब के विकास की मांग कर रहा हूँ इसके लिए सरकार द्वारा 30 लाख 75 हजार स्वीकृति है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार क्रमांक संख्या 18 में वर्णित है

उसका निर्माण सुरु कराने के लिए मांग की, माननीय NGT के आदेश के उपरांत उसके अनुपालन करते हुए तो जिला अधिकारी महोदय ने टीम गठित कर पैमाइस करने का आदेश दिया जिस पर टीम भी आई ग्रामीण जनो ने कहा लेखपाल ने पैमाइस नहीं की

पैमाइस तो दूर आज तक उसके जरीब भी नहीं निकाली अतिक्रमण हटाना तो दूर, उसके उपरान्त तीन मुकदमा भी कायम किये परन्तु रिपोर्ट में नहीं दिखाए |

वही गाँव में तालाब के अतिक्रमण की पैमाइस करने गई टीम ने कोई पैमाइस नहीं की केवल तीन अतिक्रमण कर्ताओ पर मुकदमा पंजीकृति किया गया आज तक अन्य अतिक्रमण करातो पर कोई कार्यवाही नहीं की गई कोई कार्यवाही नहीं की गई |

बिलासपुर बांगर के गाटा संख्या 511 के तालाब केवल तीन लोगो पर मुकदमा पंजीकृति किये गए उनके मुकदमा संख्या कंप्यूटरीकृत वाद सं०:T202303400501634,T202303400501635 एवं T202303400501636, दिनांक 26 जून 2023 को किये परन्तु रिपोर्ट में NGT को नहीं भेजे गए इससे स्पष्ट है रिपोर्ट कोई अन्य भेजी गई माननीय NGT के आदेशो के उपरान्त आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई |

इसमें वाद संख्या T202303400501635 कुँअर लाल पुत्र धन सिंह पर भी सरकार कर्मचारी महरवान है इसके लड़के के नाम कालनो दी गई जो तालाब में बनवाई गई

इसके इसके विरुद्ध मुकदमा अब दर्ज हो रहा वही इसको तालाब का पट्टा दिया गया इसके बाद इसने चार साल का आज तक राजस्व भी जमा नहीं किया तालाब को दूषित भी किया और दूषित छोड़ा वही अभिलेख याचिका में अंकित है

वही तालाब जल निकासी की तालाब पर अतिक्रमण करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं मेरे 2018 से बराबर तालाब जल निकासी

मेरे द्वारा गाटा संख्या 511 तालाब, तालाब जल निकासी गाटा संख्या 539, 227 का अतिक्रमण जानबूझकर तत्कालीन पंचायत सचिव विकास सिंह पूर्व प्रधान अलका सिंह और तत कालीन खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात और राजव विभाग की उपजिला अधिकारी सिकंदरा, तहसीलदार ने लेखपाल संजीव सचान को संरक्षण देते हुए कराये है इस संदर्भ में जब मैंने RTI के तहत रिपोर्ट माँगी

गई 26 जुलाई 2023 RTI प्रार्थना पत्र जन सूचना अधिकारी /उपजिला अधिकारी कार्यालय सिकंदरा कानपुर देहात, प्रथम अपील जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी

प्रशासन कानपुर देहात को प्रथम अपील दिनांक 30 अगस्त 2023 आज तक कोई जबाब नहीं इससे सिद्ध है केवल मन मनगड़ंत करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जमीनी हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

मैं विरोध करता रहा कि तालाब जल निकासी पर बनी पुलिया और रास्ते के रूप में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना कैसे जिस स्थान पर नल नहीं लगा पाई उस स्थान पर यह प्रधानमंत्री आवास बने कैसे यह बहुत ही गंभीर सवाल हैं किन नियमों के तहत बनाया गया इसकी जानकारी 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मांगी ।

वही जन सूचना अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी के कार्यालय विकास खंड अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात से दिनांक 05 जुलाई 2023 को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मांगी तो कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं कराई गई ।

जब यह तीस दिन में कोई सूचनाएं नहीं देने पर 12 अगस्त 2023 को प्रथम अपील को प्रथम आपीले अधिकारी / जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात से रिपोर्ट मांगी तो आज तक कोई सूचनाएं नहीं मिली ।

परन्तु मेरे प्रथम अपील पत्र को RTI बनाकर, पत्र पत्रांक संख्या -378 / ज० सू० लि०- का० दे० /2022 दिनांक 01 सितम्बर 2023 को जिला अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात के जन सूचना अधिकारी / सुरेश चंद्र सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित कर खंड विकास अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात/ जनसूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मुझ आवेदक को प्राप्त कराने का निर्देश दिया था आज तक अनुपालन नहीं इससे स्पष्ट है यह तालाब की जल निकासी की पुलिया एवं रास्ता की जमीन पर अतिक्रमण कराकर तालाब जल निकासी जानबूझकर बाधित कराई गई ।

मैंने जो टीम गई 11 जून 2023 को उसको पत्र दिए तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण है उसको जब तक नहीं हटवाया जाएगा तब तक इस तालाब का दूषित पानी नहीं निकलेगा समस्या जस की तस बनी रहेगी तालाब जल निकासी की ओर कुछ लोग अतिक्रमण किये आज तक उनको नहीं हटवाया गया ।

न ही तालाब जल निकासी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले रूप सिंह लाखन सिंह सुनीता कुँअर सिंहआदि तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किये हुए है आदि को आज तक नोटिस नहीं जारी किये गए न ही अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई

वही माननीय NGT ने पुनः 20 जुलाई 2023 को सुनवाई करते हुए मुझे आदेश दिया था जब तालाब के अतिक्रमण की रिपोर्ट हो उसको प्रस्तुत कर उसके लिए अतिशीघ्र तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए

जो रिपोर्ट देखी जाय तो केवल वह काल्पनिक है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जब केवल केवल दो तहसीलों के तालाबों का जिक्र सभी गाटाओ के तालाबों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया परन्तु इस रिपोर्ट पर कैसे विश्वास किया जाय

वही मेरे द्वारा कई RTI आवेदन प्रस्तुत किये उनका भी कोई जबाब नहीं दिया गया

वही मेरे द्वारा दिनांक 03 मई 2023 को सिकंदरा नगर में राजस्व अभिलेखों में 27 तालाब दर्ज है उसको शिकायत संख्या 40016323005491 के तहत सभी तालाबों से अतिक्रमण मुक्त करा उनके पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांग उठाई जिसके निस्तारण में लेखपाल अमरपाल ने दिनांक 29 मई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 72 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तरे प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गई परन्तु देखने से यह अवगत हुआ यह कार्यवाही दिसम्बर 2022 की थीकम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 धारा 67 के तहत कार्यवाही करते हुए दर्ज किये गए थे परन्तु माननीय NGT के आदेश 285/2023 अनुपालन में तहसील सिकंदरा ने कोई कार्यवाही नहीं की न ही इन मुकदमों को रिपोर्ट में दिखाया है जो माननीय NGT के समक्ष प्रस्तुत की

वही तहसीलदार महोदय ने कार्यवाही तो नहीं की इन कम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 तक इनका निस्तारण तो नहीं

किया परन्तु इन्होंने जून में इन सभी मुकदमों को खारिज करते हुए कार्यवाही सम्पन्न कर दी इनको रिपोर्ट भेजी गई उसमें कही दर्शाया नहीं है जब की यह सभी मुकदमों 20 जून 2023 को खत्म किये गए वही जब कि यही तहसीलदार महोदया श्रीमती अपूर्णा सिंह तालाबों के संदर्भ में 11 जून 2023 को मेरे गाँवबिलासपुर बांगर में के तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टीम को गई थी मैंने NGT के आदेश के वारे में पूर्ण जानकारी थी इस लिए इन्होंने सभी 69 से 70 मुकदमों एक दिन में खारिज किये परन्तु जो जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई उसमें इनका जिक्र नहीं न ही किसी अन्य न्यायालय में इन बादों को दर्ज किया गया इस लिए यह रिपोर्ट पुराण रूप से असत्य है कोई किसी कर्मचारी ने कार्यवाही नहीं की केवल बंद कमरे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई

वही जो बाद पत्र / ओरिजिनल प्रार्थना पत्र में केवल बिलासपुर बांगर और रसूलाबाद तहसील के अलीपुर राम हार के गाँवों के तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी जिसका आज तक कोई जमीने हकीकत पर कार्यवाही नहीं की गई ~

वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर को 2010 से तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत हूँ परन्तु कार्यवाही इन्हीं की गई अब भी माननीय NGT के दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 के आदेशों के उपरांत कोई कार्यवाही नहीं की गई वही जब की बिलासपुर बांगर के तालाब गाटा 511 के जल निकासी को सरकारी धन का दुरुपयोग कराते हुए बंद कराया गया, यह इस लिए कराया गया कि यदि अतिक्रमण ध्वस्त होगा तो अतिक्रमण कर्ता का कोई नुकसान नहीं होगा यदि अतिक्रमण बना रहा तो मेरी जीत होगी और तालाब प्रदूषित होगा एक अच्छी पहल पर रोक लगेगी और तालाब की जल निकासी वाधित भी होगी और यही हुआ आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई

मेरे द्वारा तालाब के पानी के प्रदुषण की जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपूर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 के तहत आया कि तालाब के डेनेज के अभाव में जल निकासी अवरुद्ध है।

वही यह जल निकासी को रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण किया जिसकी हम 2018 से शिकायत करते रहे परन्तु रूप सिंह पुलिया तोड़ दी और तालाब जल निकासी अवरुद्ध हुई

जिसको ग्राम पंचायत की प्रधान अलका सिंह ने साजिस के तहत तब हैडपम्प दिया जब लोक निर्माण विभाग ने मेरी शिकायत पर तालाब जल निकासी की पुलिया के जीर्णोद्धार हेतु पाइप भेजे लेकिन भूमाफिया रूप सिंह ने मना करने पर नहीं डाले इसके चलते जब पुलिया पर नल लगाने में सफल नहीं हुए गाटा संख्या 227 पर पहले से बना इंद्रा आवास को दे सड़क की जमीन पर प्रधानमंत्री वनवाकर अतिक्रमण करा दिया इसके चले वहां पानी जल निकासी बाधित है

इसके अनुपालन हेतु आज तक जितने भी पत्र भेजे उनको संज्ञान लेते उचित कार्यवाही कर सभी प्रपत्रों को संज्ञान ले वही माननीय NGT के समक्ष 242 के साथ पत्र प्रस्तुत किया था जिनको आपके समक्ष भिन्न भिन्न तिथियों में प्रेषित किया जा चुका परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके चलते क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपूर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 की रिपोर्टों को संज्ञान और फोटो पर उचित कार्यवाही करते हुए बिलासपुर के तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय

वही मल शिकायत में वर्णित मुख्य रूप से दो तालाब खाली नहीं कराये अलीपुर रामहार के तालाबों को खाली दिखा रहे जिला अधिकारी की प्रस्तुत रिपोर्ट में 361 362 पेज पर खाली है उसको देख सकते है वही दैनिक जागरण इ प्रकाशित खबर में तालाबों में धान की फसल खड़ी है वही बिलासपुर बांगर तालाब की भी खरे है फोटो है है जो किस तरह उपजिला अधिकारी सिकंदरा इस प्रकरण को दवा रही हकीकत में माननीय NgT के आदेश अनुपालन नहीं हुआ

वही आज भी तहसील सिकंदरा में एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 41016323000204 ,41016323000198 41016323000201 41016323000205 लंबित है इनको सभी अधिकारी दवा रहे ।

मेरा निवेदन है कि टीम से पूछा जाय कि आज तक माननीय NGT द्वारा गठित टीम की मीटिंग क्यों नहीं की गई जिला अधिकारी महोदय ने आज तक अपनी अध्यक्षता में मीटिंग करने का कारण पूछा जाय ।

मेरी याचिका में वर्णित आवेदन और प्रत्यावेदनो का आज निस्तारण नहीं करने का विवरण माँगा जया

सिकंदरा में तालाबों पर अतिक्रमण सम्बन्धी कुल मुकमे लंबित है जाय

अपर जिला अधिकारी प्रशासन द्वारा तीन तीन बार आदेशों के उपरान्त आज तक उपा अधिकारियों और तहसीलदारों मानकों के तहत रिपोर्ट नहीं दिये जाने का विवरण दिया जाय

हजारो तालाबो को क्या बचाएगे जिन तालाबों की शिकायत 2010 से कर उनको ही दवा रहे और उन पर लेखपाल तहसीलदार और उपजिला अधिकारी फर्जी रिपोर्ट जारी कर प्रधानमंत्री आवास बनवाकर अतिक्रमण करा रही

JE और अधिशाषी अभियंता खंड लोक निर्माण निर्माण विभाग को पार्टी बनाकर बिलासपुर बांगर पुलिया का जीर्ण उद्धार करा प्रकरण निस्तारण कराया जाय ।

वही रसूलाबाद के अलीपुर रामहार में 50 से 100 वीघा तालाबों पर अतिक्रमण करवाकर धान करवा रहे वही यह सब अधिकारी केवल फर्जी रिपोर्ट लगाकार भेज रही प्रकरण को गंभीरता से लेकर प्रथम आदेश के तहत गठित टीम को कार्यवाही करने का आदेश जारी कर

हजारो गायब तालाबों को खुजवाये वही सन 1952 फसली वर्ष 1359 की स्थिति के अनुसार एवं पश्चात विभागावार अभिलखों में दर्ज तालाब/ झील/अन्य बाटर बाँडीज की गाटा बार स्थिति मगाई जाय

वही तहसीलदारो से जिले में मछली पालन हेतु डाई गए तालाब के राजस्व बसूली की स्थिति सभी विस्तृत रिपोर्ट ADM के आदेश के तहत मगाई जाय

बिलासपुर बागर का तालाब पूर्ण रूप से १० वर्ष से दूषित पानी हरा उसको जीर्णोद्धार हेतु ३३.75 अमृत सरोबर हेत स्वीकृति कुछ दिन काम हुआ सभी गंदा पानी निकलवाकर तालाब जल निकासी के अतिक्रमण रूप सिंह पुत्र वनवारी सुनीता पत्नी रविंद्र कुँअर सिंह पुत्र लालाराम कुँअर लाल इत्यादि को नोटिस कर सभी से तालाब और में रास्ता हत्वाकार समुचित पुलिया का जीर्णोद्धार हेतु लोकनिर्माण विभाग नोटिस जाए कर पुलिया जा जीर्णोद्धार कराया जाय ।

वही तहसीलदारो से जिले में मछली पालन हेतु डाई गए तालाब के राजस्व बसूली की स्थिति सभी विस्तृत रिपोर्ट ADM के आदेश के तहत मगाई जाय ।

सम्पूर्ण प्रधान बेंच को मेरा धन्यबाद ।

प्रार्थी /अपीलकर्ता



मेघराज सिंह मानव अधिकार RTI कार्यकर्ता

ग्राम बिलासपुर बांगर सिकंदरा कानपुर देहात

मो० - 9643406577

- 1- समस्त तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित पत्र संख्या 1062/डीएलआरसी-का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, के आदेश की प्रतिलिपि
- 2-
- 3- समस्त उपजिला अधिकारियों तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित 1061/डीएलआरसी का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023 के आदेश की प्रतिलिपि
- 4- पुनः डीएलआरसी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1087/डीएलआरसी-का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023, के आदेश की प्रतिलिपि
- 5- 1088/डीएलआरसी का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023 के तहत स भी तसीलो के उपजिला अधिकारियों और तहसीलदारों को अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरक पत्र भेजे गए के आदेश की प्रतिलिपि
- 6- दिनांक 06/10/2023 को श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, कार्यालय जिला अधिकारी जनपद कानपुर देहात, श्रीमान उत्तर प्रदेश पोलूशन कण्ट्रोल बोर्ड लखनऊ, श्रीमान डायरेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश EMAIL LETTER की प्रतिलिपि WITH 47 PAGE
- 7-

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

संख्या- 140

/ओएसडी-का0दे0/2023

दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर देहात।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित क्रांति अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा अप्लीकेशन नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसमें संलग्न इन्डेक्स में कई प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित होना अंकित किया गया है जिनका निस्तारण किये जाने के निर्देश है। उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय में अगली सुनवाई की तिथि 20.07.2023 नियत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराकर मा0 न्यायालय को ससमय अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोपरि।


25.04.23
(नेहा जैन)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।


Aam (G)

25/4/23

जाने हेतु निवेशित किया गया। वहाँ आज भी आवासीय गावश सड़का पर व्यवस्था कर रहे हैं। कितने आधकारों का खाना पूरा म लग है।

जिले के सैकड़ों तालाबों से प्रशासन नहीं हटवा पाया कब्जा

— तालाबों में खड़े हैं मकान किंतु अफसर के कागजों में है खाली बड़ा गोलमाल।

— अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने पूर्व में सभी तहसीलों से तालाबों की वस्तु स्थिति व संख्या के बारे में मांगी थी रिपोर्ट उसमें भी बड़ी लापरवाही।

(अरविन्द शुक्ला नगराज दर्पण न्यूज़)

कानपुर देहात। जनपद के तहसीलों में सैकड़ों तालाबों पर कब्जा जमा हुआ जिसको अभी तक प्रशासन खाली नहीं करा पाया। जनपद कानपुर देहात के राजपुर विकास खण्ड के बिलासपुर गांव में तालाबों के आस पास व तालाब पर ग्राम प्रधान की सह पर अवैध कब्जा हो जाने कारण तालाब का पानी दूषित हो गया है जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण तालाबों और अन्य सरकारी जमीन को संरक्षण करने का आदेश दे रहे वहीं पर्यावरण रक्षक मानव अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता मेघराज सिंह ने तालाब को बचाने हेतु प्रयासरत है वहीं पहले लोक निर्माण विभाग ने तालाब जल निकासी पुलिया का अधूरा निर्माण किया वहीं गांव का पानी तालाब में डालने हेतु चालू पुलिया तालाब जल निकासी की पुलिया को रूप सिंह पुत्र बनवारी ने पुलिया पर अतिक्रमण करना चाहा पंचायत ने उस पुलिया को तुड़वाकर सरकारी हैंडपंप लगाने का प्रयास किया जब पंचायत नहीं लगा सकी तो उसने उस स्थान पर प्रधानमंत्री आवास बनवाकर तालाब अतिक्रमण करवा दिया इसमें लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सभी ने साजिश के तहत कराया जब कि उसके नाम पहले से इंद्रा आवास बना हुआ था, जब आवेदक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में जनपद कानपुर देहात में गायब हजारों तालाब बचाने की कबायत की याचिका दाखिल कर उनको बचाने का प्रयास जारी है याचिका संख्या 285/2023, मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य का मामला विचाराधीन है, जब बिलासपुर बांगर का तालाब जो आवास और अन्य अतिक्रमण कर याचिक कर्ता के अनुसार सभी तहसीलों से जाँच आख्या फर्जी रिपोर्ट लगाकर लेखपाल संजीव सचान ने फर्जी जाँच आख्या लगाकर अतिक्रमण कराया वहीं राजस्व अभिलेखों में तालाब गाटा 511, 227, और 539 आपस में मिले हुए है फिर भी इन्होंने जान बूझकर इस पर प्रधानमंत्री आवास बनवाकर अतिक्रमण कराया, याचिका में वर्णित अतिक्रमित तालाबों पर कार्यवाही नहीं केंवल आख्या भेजी है। फर्जी तालाब जल निकासी बाधित हुई, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड कानपुर देहात की रिपोर्ट के अनुसार तालाब का पानी दूषित जब कि अन्य को जांच चल रही वहीं रिपोर्ट में आया तालाब से अतिक्रमण हटाते हुए तालाब जल निकासी सुधारू रूप से पानी



जल निकासी की पुलिया को संचालन नहीं किया जाएगा तब तक यह समस्या का निदान संभव नहीं है। आवेदक जाँच चाहता कि तालाब की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना कैसे फर्जी रिपोर्ट जारी कर अतिक्रमण करने वाले सभी अधिकारियों पर जाँच की मांग की वहीं मेघराज सिंह कई प्रत्यावेदन और आवेदन दिए कि तालाब जल निकासी को बाधित हो रही दूसरी किरत जारी न की जाय परंतु तत्कालीन प्रधान इसको जान बूझकर तालाब जल निकासी बाधित करा दी है। दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही सबसे बड़ा विषय यह कि प्रधानमंत्री आवास बना रास्ते की जमीन पर बना कैसे तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव और अन्य जो दोषी है। जिले की उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें जिससे तालाबों का अस्तित्व बच सके। इसी क्रम में सिकंदरा तहसील क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में पटेल चौक के समीप बने तालाब पर ही कई दर्जन व्यक्तियों ने तालाब की जमीन पर बड़े-बड़े मकान खड़े कर रखे हैं इसके बाद भी सिकंदरा तहसील से लेकर अन्य जगह दायर भी हैं किंतु सूत्रों की माने तो हाल ही में तालाब से जुड़े लगभग 6 दर्जन प्रकरण तहसीलदार द्वारा एक साथ निरस्त किए जाने के भी आप है जहाँ अब यह भी बड़ा आरोप है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्तर से सभी तहसीलों से तालाबों की वस्तु स्थिति संख्या के बारे में रिपोर्ट तलाक की गई थी किंतु अभी तक कई रिमाइंडर तहसीलों को भेजे जाने के बाद भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकती है।

नोट: अधिकारियों ने गौशालाओं का किया निरीक्षण

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

अनुस्मारक प्रथम

पत्रांक 1088 / डीएलआरसी-का0दे0-तालाब अति0 / 2023, दिनांक : 16 जून, 2023

समस्त तहसीलदार (नाम से),
कानपुर देहात।

कृपया कार्यालय पत्र संख्या-1062/डीएलआरसी, दिनांक 03.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2023 को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा एप्लीकेशन नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर प्रश्नगत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित सुनवाई हेतु तिथि 20.07.2023 नियत है।

प्रारूप

क्रम	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तरालेख
1	वर्ष 2012-2013 से 2022-23 तक कुल आवण्टित तालाबों की संख्या (वर्षवार)	
2	नियमित रूप से वार्षिक लगान जमा किये गये	
3	पट्टे धारकों की संख्या	
4	वार्षिक लगान न जमा करने वाले पट्टे धारकों की संख्या	
5	जमा न करने की अवधि(कब से जमा नहीं किया गया)	

कृपया उपवर्णित प्रारूप पर विगत 10 वर्षों से मत्स्य पालन में आवण्टित तालाबों के सापेक्ष वार्षिक किराया जमा न करने वालों की यथावॉछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(केशव मथ गुप्त)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

पत्रांक 1061 / डीएलआरसी-का0दे0-तालाब अति0 / 2023, दिनांक : 03 जून, 2023

समस्त तहसीलदार (नाम से),
कानपुर देहात।

कृपया अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2023 को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा एप्लीकेशन नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में उठाये गये बिन्दु का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 न्यायालय में सुनवाई हेतु तिथि 20.07.2023 नियत है, के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर प्रश्नगत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रारूप

क्रम	प्रश्नगत बिन्दु	उत्तरालेख
1	वर्ष 2012-2013 से 2022-23 तक कुल आवण्टित तालाबों की संख्या (वर्षवार)	
2	नियमित रूप से वार्षिक लगान जमा किये गये पट्टे धारकों की संख्या	
3	वार्षिक लगान न जमा करने वाले पट्टे धारकों की संख्या	
4	जमा न करने की अवधि(कब से जमा नहीं किया गया)	

कृपया उपवर्णित प्रारूप पर विगत 10 वर्षों से मत्स्य पालन में आवण्टित तालाबों के सापेक्ष वार्षिक किराया जमा न करने वालों की यथावर्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(केशव नाथ गुप्त)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

दिनांक 01-06-2023
 प्रकरण नं- 285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में समीक्षा बैठक का

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

पत्रांक 1062 /डीएलआरसी-का०दे०-तालाब अति०/2023, दिनांक : 03 जून, 2023


समस्त उपजिलाधिकारी(नाम से),
 कानपुर देहात।

कृपया अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2023 को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा एप्लीकेशन नं०-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में उठाये गये बिन्दु का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा० न्यायालय में सुनवाई हेतु तिथि 20.07.2023 नियत है, के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर प्रश्नगत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रारूप

क्र०	तहसील	तालाबों की कुल संख्या	तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमित तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमित तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमण मुक्त कराये गये तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमण मुक्त कराये गये तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमण अवशेष तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमण अवशेष तालाबों का कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कृपया उपरोक्त प्रारूप पर यथावच्छिन्न सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


 (केशव नाथ गुप्त)
 अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
 कानपुर देहात।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।


 अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
 कानपुर देहात।

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ०प्र० के संदर्भ संख्या-50016323000006 के माध्यम से ग्राम-बिलासपुर बांगर, ब्लाक-राजपुर, तहसील-सिकंदरा, जनपद-कानपुर देहात में स्थित तालाब के अति प्रदूषित जल को चेक कराने एवं स्वच्छ जल का प्रबंध एवं जल कुम्भी निकलवाने के सम्बन्ध में श्री मेघराज सिंह, मानवाधिकार आर०टी०आई० कार्यकर्ता ग्राम-बिलासपुर, ब्लाक-राजपुर, तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात द्वारा की गयी शिकायत सम्बन्धी आख्या।


कृपया उपरोक्त विषयक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ०प्र० के संदर्भ संख्या-40016323010062 के माध्यम से श्री मेघराज सिंह, मानवाधिकार आर०टी०आई० कार्यकर्ता ग्राम-बिलासपुर, ब्लाक-राजपुर, तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के सम्बन्ध में अघोहरस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.07.2023 को निरीक्षण किया गया था तथा जल नमूना एकत्र कर आख्या प्रेषित की गयी थी। किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये असंतुष्ट फीडबैक में अवगत कराया गया है कि निरीक्षणकर्ता ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों से नहीं मिले तथा तालाब के चारों तरफ मकान नहीं पूर्व-उत्तर में विद्यालय हैं। पूर्व प्रेषित निरीक्षण आख्या में बायीं ओर लगाया गया चित्र भी स्थल का नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान गांव में उपस्थित नहीं थे, ग्राम प्रधान के भाई श्री श्यामसुन्दर, श्री सुन्दरम शुक्ला, श्री सत्यनारायण, श्री रामशरण, श्री अरविन्द कुमार, श्री तुलाराम, श्री सोनू पाल व अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया था। लगाये गये छायाचित्र में उत्तर दिशा में प्राथमिक विद्यालय, बिलासपुर, बांगर, कानपुर देहात दर्शित है। पूरब दिशा में शिकायतकर्ता का मकान स्थित है। दक्षिण दिशा में श्री वृजेश कुमार व अन्य लोगों के आवासीय मकान तथा पश्चिम दिशा में सड़क व अन्य आवासीय मकान स्थित हैं।



तालाब के जल निकासी हेतु निकटवर्ती सड़क पर कोई पुलिया आदि न होने से तथा अन्य दिशाओं में आवासीय एवं विद्यालय होने के कारण ड्रेनेज के अभाव में जल निकासी अवरूद्ध है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का समाधान उचित जल निकासी एवं तालाब के अतिक्रमण को हटाये जाने पर ही संभव है। वर्तमान में तालाब में जल कुम्भी होने तथा जल निकासी न होने के कारण जल गुणता प्रभावित हो रही है, जिसकी आख्या पूर्व में भी प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शिकायत राजस्व एवं जल निकासी से सम्बन्धित है। अतः आई०जी०आर०एस० संदर्भ संख्या-50016323000006 को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(सतेन्द्र सिंह)
प्रयो०सहायक


(आशीष शुक्ला)
प्रयो०सहायक

सहा०पर्या०अभि०/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।


03/01/2023


03/01/23

अनुसमारक प्रथम

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

पत्रांक

1087 / डीएलआरसी-का0दे0-तालाब अति0 / 2023,

दिनांक : 16 जून, 2023

समस्त उपजिलाधिकारी(नाम से),
कानपुर देहात।

कृपया कार्यालय पत्र संख्या-1081/डीएलआरसी, दिनांक 03.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहरताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2023 को एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा एप्लीकेशन नं0-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन में उठाये गये बिन्दु के क्रम में निम्न प्रारूप पर प्रश्नगत सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित सुनवाई हेतु तिथि 20.07.2023 नियत है।

प्रारूप

क्र0	तहसील	तालाबों की कुल संख्या	तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमिता तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमिता तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमण मुक्त कराये गये तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमण मुक्त कराये गये तालाबों का कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमिता अवशेष तालाबों की कुल संख्या	अतिक्रमिता अवशेष तालाबों का कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कृपया उपवर्णित प्रारूप पर यथावर्षित सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(केशव नाथ गुप्त)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ।

(6)
17/6/23

(केशव नाथ गुप्त)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
कानपुर देहात।

शिकायत करने वाले को ही बरगलाते जिम्मेदार

तालाबों पर कच्चे को लेकर जिले में भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज नहीं कोई मामला, फर्जी रिपोर्ट लगा करते निस्तारित



जल संसाधन कानपुर जिले की जल संसाधन विभागीय अधिकारी का जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं।



मिर्जापुर क्षेत्र में एक तालाब पर जल संसाधन विभाग की जांच



शहर के पास तालाब पर जल संसाधन विभाग की जांच

तालाबों की जांच शुरू करने के लिए जिले में जांच दल भेजे गए हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं।

जिले की जांच कानपुर के जिले में जांच दल भेजे गए हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं।

बरीत कान्हा जिला में जांच दल भेजे गए हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं।



भाजपा ने गरीबी उन्मूलन को चलाई कई कोजनाए

सीएचओ ने तीसरा का...

छुट
अर
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं।

खालाब शे सभबन्धित सूचन

जनपद- कानपुर देहात।

इंडरील- रसूलाबाद

क्र.सं.	सभबन्धित नाम	जमीन की माप (घ.मी.)	सर्वेक्षण क्र.सं.	अवस्थिति	अवकाश	देहात	टिप्पणी/अनुचित (खाली/आवासी/अन्य) करण सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रसूलाबाद	345	1428000454000000	0.072	26.77634	79.77634	समतल है
2	रसूलाबाद	157	1428000157000000	0.105	26.776442	79.776442	रिक्त है।
3	रसूलाबाद	355	1428000355000000	0.205	26.772612	79.77412	रिक्त है
4	रसूलाबाद	642	1428000642000000	0.318	26.764042	79.76622	रिक्त है।
5	रसूलाबाद	643/8	1428000643000000	0.082	26.764211	79.765263	आंशिक अवन में सरत है
6	रसूलाबाद	649/8	1428000649000000	1.998	26.710115	79.761216	रिक्त है
7	रसूलाबाद	832/2	1428000832000000	0.615	26.77369	79.765068	आंशिक अवन में सरत है।
8	रसूलाबाद	840	1428000840000000	0.154	26.774264	79.761649	रिक्त है।
9	रसूलाबाद	845	1428000845000000	0.061	26.774915	79.76162	रिक्त है।
10	रसूलाबाद	1931/4	1428001931000000	0.686	26.753038	79.759603	रिक्त है।
11	रसूलाबाद	3008	1428003008000000	0.031	26.741621	79.753012	समतल है।
12	रसूलाबाद	2183	1428002183000000	0.615	26.742119	79.761019	रिक्त है।
13	रसूलाबाद	227/8	1428002277000000	0.348	26.742019	79.753082	रिक्त है।
14	रसूलाबाद	3112/8	1428003112000000	0.102	26.731224	79.746173	आंशिक अवन में आवासी है।
15	रसूलाबाद	128/8	1428001280000000	0.092	26.784494	79.936851	रिक्त है
16	रसूलाबाद	132	1428001320000000	0.031	26.784195	79.936851	रिक्त है
17	रसूलाबाद	135	1428001350000000	0.01	26.784931	79.936489	रिक्त है
18	रसूलाबाद	157	1428001570000000	0.092	26.781743	79.934948	रिक्त है
19	रसूलाबाद	176	1428001760000000	0.138	26.785476	79.938687	रिक्त है
20	रसूलाबाद	175	1428001750000000	0.201	26.785054	79.937752	रिक्त है
21	रसूलाबाद	219/8	1428002190000000	4.168	26.78356	79.939046	रिक्त है
22	रसूलाबाद	231	1428002310000000	0.102	26.783325	79.942322	रिक्त है
23	रसूलाबाद	312/4	1428003120000000	0.855	26.761328	79.944611	रिक्त है
24	रसूलाबाद	505/8	1428005050000000	0.061	26.78002	79.937759	रिक्त है
25	रसूलाबाद	530/8	1428005300000000	0.146	26.779253	79.942083	रिक्त है
26	रसूलाबाद	562	1428005620000000	0.796	26.776771	79.939625	रिक्त है
27	रसूलाबाद	570	1428005700000000	0.041	26.776235	79.940587	रिक्त है
28	रसूलाबाद	573	1428005730000000	0.266	26.776525	79.940999	रिक्त है
29	रसूलाबाद	626	1428006260000000	0.113	26.776502	79.936018	रिक्त है
30	रसूलाबाद	701	1428007010000000	0.318	26.776532	79.935445	रिक्त है
31	रसूलाबाद	735/8	1428007350000000	0.082	26.774273	79.939885	रिक्त है
32	रसूलाबाद	737	1428007370000000	0.246	26.773841	79.94051	रिक्त है
33	रसूलाबाद	779	1428007790000000	0.154	26.772989	79.942214	रिक्त है
34	रसूलाबाद	173/8	1428001730000000	1.68	26.769329	79.937632	रिक्त है
35	रसूलाबाद	33	1428000330000000	0.697	26.774657	79.826346	रिक्त है
36	रसूलाबाद	80	1428000800000000	0.225	26.772696	79.822828	रिक्त है
37	रसूलाबाद	87	1428000870000000	0.041	26.771502	79.823314	रिक्त है
38	रसूलाबाद	90	1428000900000000	0.176	26.77110	79.823623	रिक्त है
39	रसूलाबाद	97	1428000970000000	1.844	26.772301	79.82689	रिक्त है
40	रसूलाबाद	11	1428000110000000	1.739	26.772325	79.826737	रिक्त है
41	रसूलाबाद	94	1428000940000000	1.67	26.770404	79.823734	रिक्त है
42	रसूलाबाद	120/2	1428001200000000	0.41	26.767720	79.82092	रिक्त है
43	रसूलाबाद	201/2	1428002010000000	11.903	26.769847	79.827315	रिक्त है
44	रसूलाबाद	263/2	1428002630000000	3.124	26.768726	79.82774	रिक्त है
45	रसूलाबाद	297/2	1428002970000000	1.382	26.707528	79.828272	रिक्त है
46	रसूलाबाद	349	1428003490000000	3.061	26.763933	79.827487	रिक्त है
47	रसूलाबाद	681	1428006810000000	0.041	26.766731	79.828577	रिक्त है
48	रसूलाबाद	858	1428008580000000	0.777	26.766708	79.816592	रिक्त है
49	रसूलाबाद	950	1428009500000000	0.031	26.766727	79.81735	रिक्त है

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with 'TR' and 'P' initials.

362

क्र.	विभाग / वि.सं.	ग्राम का नाम	तालाप की पाट सं.	सूचिक कोड	क्षेत्रफल	जमाया	देशान्वर	शिपणी / अभ्युक्ति (आसी / आबादी / अन्य) करण सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1552	1488641552000000	0.205	26.751622	79.81858	रिक्त है
2	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1572	1488641572000100	0.113	26.752303	79.820084	रिक्त है
3	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2093	1488642093000000	4.763	26.767053	79.829137	रिक्त है
4	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2104	1488642104000000	0.348	26.765579	79.828055	रिक्त है
5	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2109	1488642109000150	0.051	26.761168	79.835315	रिक्त है
6	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2335/2	1488642135100260	0.041	26.764419	79.829468	रिक्त है
7	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2336/1	1488642136000060	1.196	26.763143	79.832924	रिक्त है
8	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2210	1488642210000100	0.845	26.760194	79.842105	रिक्त है
9	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2212	1488642220000000	2.288	26.760194	79.842105	रिक्त है
10	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	423	1489120423000000	0.133	26.685412	79.838814	रिक्त है
11	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	492	1489120492000000	0.931	26.685562	79.838927	रिक्त है
12	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	5518	1489120551000290	0.389	26.688122	79.843975	रिक्त है
13	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	777	1489120777000060	0.205	26.696349	79.839316	रिक्त है
14	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	823E	1489120823000200	0.072	26.695267	79.839317	रिक्त है
15	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	824	1489120824000000	0.154	26.695158	79.839703	रिक्त है
16	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	826B	1489120826000160	0.41	26.696027	79.840455	रिक्त है
17	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	827	1489120827000000	0.143	26.694986	79.840652	रिक्त है
18	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	920	1489120920000000	0.236	26.695151	79.845204	रिक्त है
19	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	944B	1489120944000260	0.195	26.69596	79.842884	रिक्त है
20	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1417B	1489121417000200	0.123	26.689875	79.847331	रिक्त है
21	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1425	1489121425000000	0.124	26.685581	79.847843	रिक्त है
22	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1457B	1489121457000160	0.102	26.688695	79.840568	रिक्त है
23	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1704B	1489121704000200	0.103	26.695117	79.855706	रिक्त है
24	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1791	1489121791000000	0.092	26.692508	79.854013	रिक्त है
25	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1801	1489121801000000	0.174	26.693132	79.855560	रिक्त है
26	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1805B	1489121805000100	0.133	26.69209	79.855757	रिक्त है
27	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1805B	1489121805000000	0.041	26.689922	79.856594	रिक्त है
28	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1953	1489121953000000	0.072	26.688504	79.855941	रिक्त है
29	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1974	1489121974000000	0.072	26.680455	79.854862	रिक्त है
30	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1981B	1489121981000160	0.164	26.688679	79.853943	रिक्त है
31	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1985	1489121985000000	0.091	26.688679	79.853943	रिक्त है
32	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1990B	1489121990000160	0.102	26.687795	79.854389	रिक्त है
33	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1992	1489121992000000	0.266	26.688651	79.854999	रिक्त है
34	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1997	1489121997000000	0.072	26.688034	79.855168	रिक्त है
35	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	1999	1489121999000000	0.041	26.687659	79.855444	रिक्त है
36	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2296	1489122296000000	0.113	26.699553	79.863478	रिक्त है
37	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2302	1489122302000000	0.041	26.698715	79.863929	रिक्त है
38	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2324B	1489122324000200	0.42	26.700129	79.864909	रिक्त है
39	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2325	1489122325000000	0.302	26.699694	79.865537	रिक्त है
40	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2605	1489122605000000	0.02	26.680540	79.854264	रिक्त है
41	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2630	1489122630000000	0.961	26.685408	79.852414	रिक्त है
42	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2685	1489122685000000	0.871	26.681901	79.852648	रिक्त है
43	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2712	1489122712000000	0.143	26.683292	79.850481	रिक्त है
44	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2722	1489122722000000	0.041	26.683595	79.848089	रिक्त है
45	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2728	1489122728000000	0.133	26.684058	79.847071	रिक्त है
46	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2733	1489122733000000	0.072	26.68503	79.846602	रिक्त है
47	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2744	1489122744000000	0.184	26.684866	79.848561	रिक्त है
48	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2746B	1489122746000000	0.051	26.684992	79.849429	रिक्त है
49	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2772	1489122772000000	0.205	26.687186	79.848185	रिक्त है
50	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2779	1489122779000160	0.082	26.687129	79.847419	अंशिक भाग पर आबादी विकसति है
51	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	2944B	1489122944000260	0.143	26.687022	79.847219	रिक्त है
52	रसुलबाग	असीपुर समुदाय	3182B	1489123182000200	0.205	26.682811	79.847008	रिक्त है

Handwritten signatures and stamps including 'TRR' and 'COMR' are visible at the bottom of the page.



MEGHRAJ SINGH HUMAN RIGHTS RTI ACTIVST <humanrightsractivst@gmail.com>

विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर याचिका में वर्णित आवेद

3 messages

MEGHRAJ SINGH HUMAN RIGHTS RTI ACTIVST <humanrightsractivst@gmail.com>

Fri, Oct 6, 2023 at 5:05 AM

To: csup@nic.in, dmkan@nic.in, up.fish@nic.in, chairman@uppcb.in, grievance@uppcb.com, admekan@gmail.com
Cc: fisheriesdepartmentkanpurdehat@gmail.com, AVANISH YADAV <avanishyadavko@gmail.com>, cdokan@nic.in, rokanpurdehat@uppcb.in, encrllko@gmail.com, borlko@nic.in, sdmkan-sikandara@nic.in, sdmsikandara@gmail.com, addspknd@gmail.com, cosikndraknd1473@gmail.com, bdokan-rajpur@nic.in, so-amrahat.kd@up.gov.in, filing.bpl-ngt@gov.in, judicial-ngt@gov.in, ccb.cpcb@nic.in, secy-mowr@nic.in, feedback@uppcb.com

सेवा में

श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

कार्यालय जिला अधिकारी जनपद कानपुर देहात
श्रीमान उत्तर प्रदेश पोलशन कण्ट्रोल बोर्ड
श्रीमान डायरेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश)

पत्रांक संख्या - ममो०/2023

दिनांक 06/10/2023

विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर याचिका में वर्णित आवेदनों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण कराये जाने वावत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत है, O.A. संख्या 285/2023 की याचिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की प्रधान बेंच द्वारा दिनांक 19/04/2023 को विस्तृत आदेश देते हुए जिला अधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में श्री मान उत्तर प्रदेश पोलशन कण्ट्रोल बोर्ड

श्री मान डायरेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्यपालन विभाग उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया

जिसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य तो सदस्य आज तक मीटिंग में शामिल नहीं हुए न ही जिला अधिकारी महोदय ने अध्यक्षता में मीटिंग भी नहीं हुई ।

वही जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी - का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी

प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात गठित के परन्तु मैंने याचिका में अन्य सदस्य भी बनाये उनको शामिल नहीं किया गया।

इसके अनपालन में मैं भी अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात से ऑनलाइन मीटिंग की बात की परन्तु नहीं आहूति की गई इसके उपरान्त 01 जून 2023 को बैठक हुई जिसमें मैंने तालाबों की वारे में अवगत कराया कि इतने है परन्तु मत्स्य अधिकारी 1015 ही तालाब बता रहे थे

जब मेरी उपस्थिति में मीटिंग हुई उसके उपरांत पत्रांक संख्या संख्या 1063/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, के तहत अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात ने आदेश पारित किया कि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद कानपुर देहात में स्थित तालाबों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उपजिला अधिकारियों/ तहसीलदारों से अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में स्थिति तालाबों के गाव का नाम, कुल तालाबों की संख्या व क्षेत्रफल, अतिक्रमण युक्त तालाब, अतिक्रमण तालाब तथा तथा अवशेष तालाब के प्रारूप पर तत्काल निरीक्षण करीकर तहसीलवार सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए डीएलआरसी को निर्देश दिए गए

उसके अतिरिक्त मेघराज सिंह द्वारा कतिपय बिंदु भी उठाये गए है जिसमें अतिक्रमण एवं कतिपय प्रार्थना पत्र को परी तरह निस्तारण होने का तथ्य है जनपद के समस्त तहसीलों से उपरोक्त प्रारूप पर सूचनाएं प्राप्त होने पर समिति की जंगली बैठक अग्रिम आदेशों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पन्न होगी

इसके उपरांत अपर जिला अधिकारी ने समस्त तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और समस्त तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित पत्र संख्या 1062/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, 1061/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023 जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई

न ही इस पर रिपोर्ट आज तक तहसीलदारों और उपजिला अधिकारियों ने उपलब्ध कराया

परन्तु अपर जिला अधिकारी महोदय के इस आदेश का पालन नहीं हुआ वही इसके उपरांत पुनः डीएलआरसी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1087/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023, 1088/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023 के तहत सभी तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और तहसीलदारों को अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरण पत्र भेजे गए इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके उपरांत जो रिपोर्ट जिला अधिकारी कानपुर देहात द्वारा Ref .No.: 2366/R-166/ 2023 दिनांक 16-07-2023 को श्रीमान रजिस्टार राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को भेजी गई उस रिपोर्ट को जिला अधिकारी के द्वारा भेजी गई उसका सम्मान करता हूँ

परन्तु अवलोकन करने पर स्वीकार नहीं है जो कि गलत रूप से प्रस्तुत कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को अभिलेखीय रिपोर्ट में बनाकर प्रस्तुत कर दी परन्तु हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई,

माननीय NGT में जाने के पूर्व कई प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी कानपुर देहात को दिए थे उन पर कार्यवाही न होए के बाद ही मैं माननीय NGT के समक्ष याचिका दाखिल की थी जिस पर 19 अप्रैल 2023 के आदेश के उपरांत मेरी द्वारा प्रस्तुत याचिका न तो जिला अधिकारी ने पढ़ी, न उनके द्वारा गठित टीम ने पढ़ी, NGT के आदेश में दो अन्य सदस्यों को जिला अधिकारी महोदय ने उनको पार्टी बनाने को मनासिब नहीं समझा न उसमें वर्णित पूर्व के प्रार्थना पत्रों को पढ़ा गया न ही उसका निस्तारण कराया गया केवल और केवल ऑफिस में कोई पूर्व की रखी रिपोर्ट को भेज कर फर्जी निस्तारण किया गया

जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें केवल तहसील सिकंदरा कानपुर देहात और डेरापुर तहसील के पत्र संलग्न है जिसमें वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर के तीनो तालाबों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु मांग की वही अन्य तालाब जो गायब कर दिये गया उनको याचिका में वर्णित करते हुए प्रस्तुत किये गए उसमें पूर्व के कई प्रार्थना पत्रों संलग्न करते हुए प्रस्तुत की गई थी जसि पर दिनांक 19/04/2023 को आज तक माननीय NGT के आदेश पर गठित समिति ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं न ही उस पर कार्यवाही की गई

वही उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के पत्र के संदर्भ ग्रहण करने का कृष्ट करे वही

उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या के तहत अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की

जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ओएसडी - का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात

की रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट है अपर जिला अधिकारी प्रशासन कानपुर देहात ने NGT के आदेश पर जिला अधिकारी महोदय के आदेश का अनपालन में खद गया और दौ आदेश सभी तहसीलों के उप जिला अधिकारी समस्त तहसील, तहसीलदार समस्त को दो पत्र जारी किये उनको किसी तहसीलदार और उपजिला अधिकारियों ने पालन नहीं किये

तहसीलों के किसी उपजिला अधिकारी महोदयों तहसीलदार महोदयों और अन्य ने के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत तो की गई परन्तु जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई केवल कागजों में रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट दस दिन में बनाकर भेजी अन्य तहसील के उपजिला अधिकारियों ने अपने पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये और रिपोर्ट भेजी गई

जब कि हकीकत में जमीनीस्तर पर कोई जांच नहीं हुई इससे यह रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही

आपके समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व मेरे द्वारा तालाबों को बचाने हेतु NGT order on dated 18-11-2020 O.A. 325/2015 court No.-02 Item No. -01 Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Versus Union of India & Ors. अनुपालन हेतु पत्र प्रस्तुत किये आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार भवन आई एन ए नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों के उपरान्त आदेश जारी किया आज तक उस आदेश पर कोई आदेश पालन नहीं कराया गया

वही याचिका में दो गाँवों बिलासपुर बांगर तहसील सिकंदरा कानपुर देहात के तीन और अलीपुर रामहार के तालाबों के अतिक्रमण के संदर्भ में याचिका में वर्णित किये परन्तु उसके संदर्भ में जमीनी हकाकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

जब कि पेज संख्या -358, 359 पर तहसीलदार रसूलाबाद के अलीपुर रामहार गाँव में सभी तालाब खाली दिखाए गए परन्तु हकीकत में अतिक्रमण है

मेरे आवेदन में बिलासपुर बांगर में तालाबों पर हुए अतिक्रमण एक तालाब जो गायब उसको रिपोर्ट में कही नहीं दिखाया

जब कि तालाब जल निकासी को लेखपाल संजीव सचान ने रिश्वत लेकर तालाब जल निकासी को रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई

वही पूर्व प्रधान ने पहले तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करने हेतु रूप सिंह को हैण्डम्प नहीं लगा सके जबकि रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की पुलिया पर अतिक्रमण किया गाटा संख्या 539 की जमीन पर कब्जा कराया गया ~

वही जब इस पर इस प्रधान हैडपम्प नहीं लगा पाए उस बाहर सड़क पर 539 और 227 जो रास्ता दर्ज उस पर प्रधानमंत्री आवास उस सुनीता के नाम देकर उस स्थान अतिक्रमण करने के लिए दे दिया कई पत्र लिखने के बाद इसमें राजस्व विभाग, पुलिस थाना अमरहाट और लोक निर्माण विभाग ने मिलकर तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करा दिया

उसके उपरान्त मेरे गाँव के तालाब 511 जिसको 2011 से इस तालाब के विकास की मांग कर रहा हूँ इसके लिए सरकार द्वारा 30 लाख 75 हजार स्वीकृति है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार क्रमांक संख्या 18 में वर्णित है

उसका निर्माण सुरु कराने के लिए मांग की, माननीय NGT के आदेश के उपरांत उसके अनपालन करते हुए तो जिला अधिकारी महोदय ने टीम गठित कर पैमाइस करने का आदेश दिया जिस पर टीम भी आई ग्रामीण जनो ने कहा लेखपाल ने पैमाइस नहीं की पैमाइस तो दूर आज तक उसके जरीब भी नहीं निकाली अतिक्रमण हटाना तो दूर, उसके उपरान्त तीन मुकदमा भी कायम किये परन्तु रिपोर्ट में नहीं दिखाए |

वही गाँव में तालाब के अतिक्रमण की पैमाइस करने गई टीम ने कोई पैमाइस नहीं की केवल तीन अतिक्रमण कर्ताओ पर मुकदमा पंजीकृति किया गया आज तक अन्य अतिक्रमण करातो पर कोई कार्यवाही नहीं की गई कोई कार्यवाही नहीं की गई |

बिलासपुर बांगर के गाटा संख्या 511 के तालाब केवल तीन लोगो पर मुकदमा पंजीकृति किये गए उनके मुकदमा संख्या कंप्यूटरीकृत वाद सं०:T202303400501634,T202303400501635 एवं T202303400501636, दिनांक 26 जून 2023 को किये परन्तु रिपोर्ट में NGT को नहे भेजे गए इससे स्पष्ट है रिपोर्ट कोई अन्य भेजी गई माननीय NGT के आदेशो के उपरान्त आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई |

इसमें वाद संख्या T202303400501635 कँअर लाल पत्र धन सिंह पर भी सरकार कर्मचारी महरवान है इसके लड़के के नाम कालनो दी गई जो तालाब में बनवाई गई

इसके इसके विरुद्ध मुकदमा अब दर्ज हो रहा वही इसको तालाब का पट्टा दिया गया इसके बाद इसने चार साल का आज तक राजस्व भी जमा नहीं किया तालाब को दूषित भी किया और दूषित छोड़ा वही अभिलेख याचिका में अंकित है

वही तालाब जल निकासी की तालाब पर अतिक्रमण करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं मेरे 2018 से बराबर तालाब जल निकासी

मेरे द्वारा गाटा संख्या 511 तालाब, तालाब जल निकासी गाटा संख्या 539, 227 का अतिक्रमण जानबूझकर तत्कालीन पंचायत सचिव विकास सिंह पूर्व प्रधान अलका सिंह और तत कालीन खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात और राजस्व विभाग की उपजिला अधिकारी सिकंदरा, तहसीलदार ने लेखपाल संजीव सचान को संरक्षण देते हुए कराये है इस संदर्भ में जब मैंने RTI के तहत रिपोर्ट मांगी

गई 26 जुलाई 2023 RTI प्रार्थना पत्र जन सूचना अधिकारी /उपजिला अधिकारी कार्यालय सिकंदरा कानपुर देहात, प्रथम अपील जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी प्रशासन कानपुर देहात को प्रथम अपील दिनांक 30 अगस्त 2023 आज तक कोई जबाब नहीं इससे सिद्ध है केवल मैंने मनगड़त करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जमीनी हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

मैं विरोध करता रहा कि तालाब जल निकासी पर बनी पुलिया और रास्ते के रूप में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना कैसे जिस स्थान पर नल नहीं लगीं पाई उस स्थान पर यह प्रधानमंत्री आवास बने कैसे यह बहुत ही गंभीर सवाल हैं किन नियमों के तहत बनाया गया इसकी जानकारी 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मांगीं |

वही जन सूचना अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी के कार्यालय विकास खंड अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात से दिनांक 05 जुलाई 2023 को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मांगीं तो कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं कराई गईं |

जब यह तीस दिन में कोई सूचनाएं नहीं देने पर 12 अगस्त 2023 को प्रथम अपील को प्रथम अपील अधिकारी / जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात से रिपोर्ट मांगीं तो आज तक कोई सूचनाएं नहीं मिली |

परन्तु मेरे प्रथम अपील पत्र को RTI बनाकर, पत्र पत्रांक संख्या -378 / ज० स० लि०- का० दे० /2022 दिनांक 01 सितम्बर 2023 को जिला अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात के जन सूचना अधिकारी / सुरेश चंद्र सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित कर खंड विकास अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात/ जनसूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मंजूर आवेदक को प्राप्त कराने का निर्देश दिया था आज तक अनपालन नहीं इससे स्पष्ट है यह तालाब की जल निकासी की पुलिया एवं रास्ता की जमीन पर अतिक्रमण कराकर तालाब जल निकासी जानबूझकर बाधित कराई गईं |

मैंने जो टीम गई 11 जून 2023 को उसको पत्र दिए तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण है उसको जब तक नहीं हटवाया जाएगा तब तक इस तालाब का दूषित पानी नहीं निकलेगा समस्या जस की तस बनी रहेगी तालाब जल निकासी की ओर कुछ लोग अतिक्रमण किये आज तक उनको नहीं हटवाया गया |

न ही तालाब जल निकासी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले रूप सिंह लाखन सिंह सनीता कंअर सिंह आदि तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किये हुए हैं आदि को आज तक नोटिस नहीं जारी किये गए न ही अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गईं

वही माननीय NGT ने पुनः 20 जुलाई 2023 को सनवाई करते हुए मुझे आदेश दिया था जब तालाब के अतिक्रमण की रिपोर्ट हो उसको प्रस्तुत कर उसके लिए अतिशीघ्र तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए

जो रिपोर्ट देखी जाय तो केवल वह काल्पनिक है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जब केवल केवल दो तहसीलों के तालाबों का जिक्र सभी गाटाओं के तालाबों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया परन्तु इस रिपोर्ट पर कैसे विश्वास किया जाय

वही मेरे द्वारा कई RTI आवेदन प्रस्तुत किये उनका भी कोई जबाब नहीं दिया गया

वही मेरे द्वारा दिनांक 03 मई 2023 को सिकंदरा नगर में राजस्व अभिलेखों में 27 तालाब दर्ज है उसको शिकायत संख्या 40016323005491 के तहत सभी तालाबों से अतिक्रमण मुक्त करा उनके पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांग उठाई जिसके निस्तारण में लेखपाल अमरपाल ने दिनांक 29 मई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 72 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गई परन्तु देखने से यह अवगत हुआ यह कार्यवाही दिसम्बर 2022 को थीकम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 धारा 67 के तहत कार्यवाही करते हुए दर्ज किये गए थे परन्तु माननीय NGT के आदेश 285/2023 अनपालन में तहसील सिकंदरा ने कोई कार्यवाही नहीं की न ही इन मुकदमों को रिपोर्ट में दिखाया है जो माननीय NGT के समक्ष प्रस्तुत की

वही तसीलदार महोदय ने कार्यवाही तो नहीं की इन कम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 तक इनका निस्तारण तो नहीं किया परन्तु इन्होंने जून में इन सभी मुकदमों को खारिज करते हुए कार्यवाही सम्पन्न कर दी इनको रिपोर्ट भेजी गई उसमें कहीं दर्शाया

नहीं है जब की यह सभी मकदमे 20 जून 2023 को खत्म किये गए वही जब कि यही तहसीलदार महोदया श्रीमती अपूर्णा सिंह तालाबों के संदर्भ में 11 जून 2023 को मेरे गाँवबिलासपुर बांगर में के तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टीम को गई थी मैंने NGT के आदेश के वारे मैं पूर्ण जानकारी थी इस लिए इन्होंने सभी 69 से 70 मकदमे एक दिन में खारिज किये परन्तु जो जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई उसमें इनका जिक्र नहीं न ही किसी अन्य न्यायालय में इन बाँदों को दर्ज किया गया इस लिए यह रिपोर्ट पुराण रूप से असत्य है कोई किसी कर्मचारी ने कार्यवाही नहीं की केवल बंद कमरे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई

वही जो बाद पत्र / ओरिजिनल प्रार्थना पत्र में केवल बिलासपुर बांगर और रसलाबाद तहसील के अलीपुर राम हार के गाँवों के तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी जिसका आज तक कोई जमीन हकीकत पर कार्यवाही नहीं की गई ~

वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर को 2010 से तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत हूँ परन्तु कार्यवाही इन्हीं की गई अब भी माननीय NGT के दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 के आदेशों के उपरांत कोई कार्यवाही नहीं की गई वही जब की बिलासपुर बांगर के तालाब गाटा 511 के जल निकासी को सरकारी धन का दुरुपयोग कराते हुए बंद करायो गया, यह इस लिए कराया गया कि यदि अतिक्रमण ध्वस्त होगा तो अतिक्रमण कर्ता का कोई नकसान नहीं होगा यदि अतिक्रमण बना रहा तो मेरी जीत होगी और तालाब प्रदूषित होगा एक अच्छी पहल पर रोक लगेगी और तालाब की जल निकासी वाधित भी होगी और यही हुआ आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई

मेरे द्वारा तालाब के पानी के प्रदूषण की जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 के तहत आया कि तालाब के डेनेज के अभाव में जल निकासी अवरुद्ध है |

वही यह जल निकासी को रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण किया जिसकी हम 2018 से शिकायत करते रहे परन्तु रूप सिंह पुलिया तोड़ दी और तालाब जल निकासी अवरुद्ध हुई

जिसको ग्राम पंचायत की प्रधान अलका सिंह ने साजिस के तहत तब हैडपम्प दिया जब लोक निर्माण विभाग ने मेरी शिकायत पर तालाब जल निकासी की पुलिया के जीर्णोद्धार हेतु पाइप भेजे लेकिन भ्रमाफिया रूप सिंह ने मना करने पर नहीं डाले इसके चलते जब पुलिया पर नल लगाने में सफल नहीं हुए गाटा संख्या 227 पर पहले से बना इंद्रा आवास को दे सड़क की जमीन पर प्रधानमंत्री वनवाकर अतिक्रमण करा दिया इसके चले वहां पानी जल निकासी वाधित है

इसके अनपालन हेतु आज तक जितने भी पत्र भेजे उनको संज्ञान लेते उचित कार्यवाही कर सभी प्रपत्रों को संज्ञान ले वही माननीय NGT के समक्ष 242 के साथ पत्र प्रस्तुत किया था जिनको आपके समक्ष भिन्न भिन्न तिथियों में प्रेषित किया जा चुका परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके चलते क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 की रिपोर्टों को संज्ञान और फोटो पर उचित कार्यवाही करते हुए बिलासपुर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय

इस पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण सादर प्रेषित है

प्रार्थना

श्रीमान जी से विनम्र गजारिश है कि प्रकरण पर उचित कार्यवाही करते हुए मेरी याचिका में वर्णित तथ्यों बिन्दुवार संज्ञान लेते हुए मेरे याचिका में वर्णित सभी को प्रतिवादी के रूप में नोटिस जारी कर जबाब मांगें और याचिका में वर्णित अनतोष के साथ साथ माननीय प्रधान बेंच राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया उसका अक्षरता अनुपालन कराते हुए जिले के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त कराये |

माननीय उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों के उपरांत सरकारी जमीनों को आदेश खाली कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 402/1-2-2017 -1 (सामान्य)/2017 राजस्व अनुभाग -02 दिनांक 01 -मई 2017 के आदेश में विस्तृत रूप से समस्त माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में विस्तृत आदेश, वही अभी हाल में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंड पीड़ लखनऊ के Nanhe Lal Kanaujia VS State Of U.P. Thru Addl Chief Secy Revenue Civil Sectt Lko And 7 Others का अनुपालन कराते हुए उक्त रास्ते एवं तालाब के गाटो इत्यादि पर अतिक्रमण की पैमाइस कर जिन जिन का अतिक्रमण पाया जाय उनके सिरुद्ध कार्यवाही की जाय |

माननीय NGT द्वारा पारित आदेश 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 के आदेशों का अनुपालन कराते हुए तालाब गाटो 511 और तालाब जल निकासी के गाटा 539 और 227 पर अतिक्रमण हटवाते हुए तालाब को प्रदूषित मुक्त कराया जाय

नोट- आपके द्वारा माननीय NGT के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की वह बंद ऑफिस में तैयार की गई रिपोर्ट है पूर्ण रूप से मिथ्या है हकीकत में आपके द्वारा याचिका को पढा नहीं गया उसके उपरांत मेरे द्वारा दिए प्रार्थना पत्रों / प्रत्यावेदनों उसके अनुपालन में प्रस्तुत पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की हकीकत में कार्यवाही करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कराये |

सादर धन्यवाद |

प्रार्थी



मेघराज सिंह मानव अधिकार RTI कार्यकर्ता

बिलासपुर बांगर सिकंदरा कानपुर देहात

संलग्नक: दिनांक 20-07-2023 को जारी माननीय प्रधान बेंच राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित पादेश की प्रतिलिपि

प्रार्थना पत्र संख्या 1 -से 47 तक सभी प्रपत्र फोटो साक्ष्य आदि की प्रतिलिपि

प्रतिलिपि :

The Secretary (DoWR,RD&GR)

Ministry of Jal Shakti Government of India, Email id- secy-mowr@nic.in

2-The President Central Pollution Control Board

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

Email id- ccb.cpcb@nic.in

3-The Chief Secretary Govt. of U.P.

Address-101, B Block Lok Bhawan U.P. Secretariat Lucknow Utter Pradesh-
PIN- 206001,Phone No.-522-2289212, email id- csup@nic.in

4-The Uttar Pradesh Pollution Control Board

Address-Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow,Uttar Pradesh-226010, email-feedback@uppcb.com

5- The Director Fishery 7 faizabad Road Babujan Lukcnw

6-The Divisional Commissioner Office

Address-6/12, Neil Rd, Civil Lines, Kanpur Nagar,Uttar Pradesh-208001

Mob No.-9454417502, Email-commkap@up.nic.in

7-The Commissioner of Police Kanpur Zone / IG RANGE KANPUR ZONE

Address-16/12, Neil Rd, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh 208001

Mob.No.-9454400285 Email ID- com-pol.kn@up.gov.in

8-The UP Public Work Department

OFFICE ENGINEER IN CHIEF PWD DEPARMENT LUCKNOW

Uttar Pradesh-522238740, Email id- encrrlko@gmail.com

9-The President Board of Revenue

address Board Of Revenue Kesarbag Lucknow Uttar Pradesh

LUCKNOW -226001Phone No.-5222217102 Email ld-borlko@nic.in

10- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड 280, NH, रनिया कानपुर देहात -209304 EMAIL ID- rokanpurdehat@uppcb.in

11-श्रीमान मतस्य अधिकारी जनपद कानपुर देहात

Email id- fisheriesdepartmentkanpurdehat@gmail.com

avanishyadavlko@gmail.com

12 SP Kanpur Dehat/ addsp Kanpur Dehat / CO Sikandra / SO Amaraht Gohani
Sikandra Kanpur Dehat

sphan-up@nic.in addspknd@gmail.com cosikndraknd1473@gmail.com so-amrahat.kd@up.gov.in

13- ADM administration Kanpur Dehat

Email ID- admekan@gmail.com

14- ADM FINANCE AND REVENUE district Kanpur Dehat

Email ID- admfrkan@gmail.com

15-The Sub Divisional Magistrate

Office- Tahseil Sikandra Kanpur Dehat Uttar Pradesh-209125

3 attachments



SIG.jpg
21K

 PDF NGT ORDER COPY.pdf
285K

 DM NEW LETTER.pdf
8553K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
To: humanrightsrtiactivst@gmail.com

Fri, Oct 6, 2023 at 5:05 AM



Address not found

Your message wasn't delivered to **cosikndraknd1473@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> q8-20020a05651232a800b0050309871723sor452451fe.26 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; cosikndraknd1473@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> q8-20020a05651232a800b0050309871723sor452451fe.26 - gsmtp

Last-Attempt-Date: Thu, 05 Oct 2023 16:35:47 -0700 (PDT)

----- Forwarded message -----

From: MEGHRAJ SINGH HUMAN RIGHTS RTI ACTIVST <humanrightsrtiactivst@gmail.com>

To: csup@nic.in, dmkan@nic.in, up.fish@nic.in, chairman@uppcb.in, grievance@uppcb.com, admekan@gmail.com

Cc: fisheriesdepartmentkanpurdehat@gmail.com, AVANISH YADAV <avanishyadavlko@gmail.com>, cdokan@nic.in, rokanpurdehat@uppcb.in, encrrlko@gmail.com, borlko@nic.in, sdmkan-sikandara@nic.in, sdmsikandara@gmail.com, addspknd@gmail.com, cosikndraknd1473@gmail.com, bdokan-rajpur@nic.in, so-amrahat.kd@up.gov.in, filing.bpl-ngt@gov.in, judicial-ngt@gov.in, ccb.cpcb@nic.in, secy-mowr@nic.in, feedback@uppcb.com

Bcc:

Date: Fri, 6 Oct 2023 05:05:22 +0530

Subject: विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर

याचिका में वर्णित आवेद
----- Message truncated -----

MEGHRAJ SINGH HUMAN RIGHTS RTI ACTIVST <humanrightsractivst@gmail.com>

Fri, Oct 6, 2023 at 2:32 PM

To: dlrc kd <dlrcdehat@gmail.com>

Please take appropriate action as per law.

----- Forwarded message -----

From: **MEGHRAJ SINGH HUMAN RIGHTS RTI ACTIVST** <humanrightsractivst@gmail.com>

Date: Fri, 6 Oct, 2023, 5:05 am

Subject: विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर याचिका में वर्णित आवेद

To: <csup@nic.in>, <dmkan@nic.in>, <up.fish@nic.in>, <chairman@uppcb.in>, <grievance@uppcb.com>, <admekan@gmail.com>

Cc: <fisheriesdepartmentkanpurdehat@gmail.com>, AVANISH YADAV <avanishyadavlko@gmail.com>, <cdokan@nic.in>, <rokanpurdehat@uppcb.in>, <encrrlko@gmail.com>, <borlko@nic.in>, <sdmkan-sikandara@nic.in>, <sdmsikandara@gmail.com>, <addspknd@gmail.com>, <cosikndraknd1473@gmail.com>, <bdokan-rajpur@nic.in>, <so-amrahat.kd@up.gov.in>, <filing.bpl-ngt@gov.in>, <judicial-ngt@gov.in>, <ccb.cpcb@nic.in>, <secy-mowr@nic.in>, <feedback@uppcb.com>

सेवा में

श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

कार्यालय जिला अधिकारी जनपद कानपुर देहात

श्रीमान उत्तर प्रदेश पोलेशन कण्ट्रोल बोर्ड

श्रीमान डायरेक्टर ऑफ़ फ़िशनरीज मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश)

पत्रांक संख्या - ममो०/2023

दिनांक 06/10/2023

विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर याचिका में वर्णित आवेदनों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण कराये जाने वावत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत है, O.A. संख्या 285/2023 की याचिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की प्रधान बेंच द्वारा दिनांक 19/04/2023 को विस्तृत आदेश देते हुए जिला अधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में श्री मान उत्तर प्रदेश पोलेशन कण्ट्रोल बोर्ड

श्री मान डायरेक्टर ऑफ़ फ़िशनरीज मत्स्यपालन विभाग उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया

जिसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य तो सदस्य आज तक मीटिंग में शामिल नहीं हुए न ही जिला अधिकारी महोदय ने अध्यक्षता में मीटिंग भी नहीं हुई ।

वही जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी - का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात गठित के परन्तु मैंने याचिका में अन्य सदस्य भी बनाये उनको शामिल नहीं किया गया ।

इसके अनपालन में मैं भी अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात से ऑनलाइन मीटिंग की बात की परन्तु नहीं आहूति की गई इसके उपरान्त 01 जून 2023 को बैठक हुई जिसमें मैंने तालाबों की वारे में अवगत कराया कि इतने है परन्तु मत्स्य अधिकारी 1015 ही तालाब बता रहे थे

जब मेरी उपस्थिति में मीटिंग हुई उसके उपरांत पत्रांक संख्या संख्या 1063/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, के तहत अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात ने आदेश पारित किया कि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद कानपुर देहात में स्थित तालाबों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों/ तहसीलदारों से अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में स्थिति तालाबों के गाव का नाम, कुल तालाबों की संख्या व क्षेत्रफल, अतिक्रमण युक्त तालाब, अतिक्रमण तालाब तथा तथा अवशेष तालाब के प्रारूप पर तत्काल निरीक्षण करीकर तहसीलवार सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए डीएलआरसी को निर्देश दिए गए

उसके अतिरिक्त मेघराज सिंह द्वारा कतिपय बिंदु भी उठाये गए है जिसमें अतिक्रमण एवं कतिपय प्रार्थना पत्र को परी तरह निस्तारण होने का तथ्य है जनपद के समस्त तहसीलों से उपरोक्त प्रारूप पर सूचनाएं प्राप्त होने पर समिति की जंगली बैठक अग्रिम आदेशों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पन्न होगी

इसके उपरांत अपर जिला अधिकारी ने समस्त तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और समस्त तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित पत्र संख्या 1062/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, 1061/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023 जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई

न ही इस पर रिपोर्ट आज तक तहसीलदारों और उपजिला अधिकारियों ने उपलब्ध कराया

परन्तु अपर जिला अधिकारी महोदय के इस आदेश का पालन नहीं हुआ वही इसके उपरांत पुनः डीएलआरसी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1087/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023, 1088/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023 के तहत सभी तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और तहसीलदारों को अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अन्स्मरक पत्र भेजे गए इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं

3 attachments



SIG.jpg
21K

PDF NGT ORDER COPY.pdf
285K



DM NEW LETTER.pdf
8553K

सेवा में

श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
 कार्यालय जिला अधिकारी जनपद कानपुर देहात
 श्रीमान उत्तर प्रदेश पोलूशन कण्ट्रोल बोर्ड
 श्रीमान डारेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश)

पत्रांक संख्या - ममो०/2023

दिनांक 06/10/2023

विषय - मेरे पूर्व के आवेदनों और प्रत्यावेदनों के साथ याचिका में वर्णित तालाबों के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न ही माननीय NGT के आदेश के उपरान्त एक भी तालाब अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं केवल कागजों में कोई पूर्व की रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय NGT को गुमराह किये जाने, दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन, मेरी याचिका में वर्णित सभी प्रतिवादियों को नोटिस कर याचिका में वर्णित आवेदनों और प्रत्यावेदनों का निस्तारण कराये जाने वावत महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत है, O.A. संख्या 285/2023 की याचिका मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली की प्रधान बेंच द्वारा दिनांक 19/04/2023 को विस्तृत आदेश देते हुए जिला अधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में श्री मान उत्तर प्रदेश पोलूशन कण्ट्रोल बोर्ड

श्री मान डारेक्टर ऑफ़ फिशनरीज मत्स्यपालन विभाग उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया जिसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य तो सदस्य आज तक मीटिंग में शामिल नहीं हुए न ही जिला अधिकारी महोदय ने अध्यक्षता में मीटिंग भी नहीं हुई ।

वही जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी - का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात गठित के परन्तु मैंने याचिका में अन्य सदस्य भी बनाये उनको शामिल नहीं किया गया ।

इसके अनुपालन में मैं भी अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात से ऑनलाइन मीटिंग की बात की परन्तु नहीं आहुति की गई इसके उपरान्त 01 जून 2023 को बैठक हुई

जिसमें मैंने तालाबों की वारे में अवगत कराया कि इतने है परन्तु मत्स्य अधिकारी 1015 ही तालाब बता रहे थे

जब मेरी उपस्थिति में मीटिंग हुई उसके उपरांत पत्रांक संख्या संख्या 1063/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, के तहत अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात ने आदेश पारित किया कि उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद कानपुर देहात में स्थित तालाबों के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों/ तहसीलदारों से अपनी अपनी तहसील क्षेत्र में स्थिति तालाबों के गाव का नाम, कुल तालाबों की संख्या व क्षेत्रफल, अतिक्रमण युक्त तालाब, अतिक्रमण तालाब तथा तथा अवशेष तालाब के प्रारूप पर तत्काल निरीक्षण कराकर तहसीलवार सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने के लिए डीएलआरसी को निर्देश दिए गए

उसके अतिरिक्त मेघराज सिंह द्वारा कतिपय बिंदु भी उठाये गए हैं जिसमें अतिक्रमण एवं कतिपय प्रार्थना पत्र को पूरी तरह निस्तारण होने का तथ्य है जनपद के समस्त तहसीलों से उपरोक्त प्रारूप पर सूचनाएं प्राप्त होने पर समिति की जंगली बैठक अग्रिम आदेशों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पन्न होगी

इसके उपरांत अपर जिला अधिकारी ने समस्त तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और समस्त तहसीलों के तहसीलदारों को सम्बोधित पत्र संख्या 1062/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023, 1061/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 03 जून 2023 जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई

न ही इस पर रिपोर्ट आज तक तहसीलदारों और उपजिला अधिकारियों ने उपलब्ध कराया

परन्तु अपर जिला अधिकारी महोदय के इस आदेश का पालन नहीं हुआ वही इसके उपरांत पुनः डीएलआरसी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1087/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023, 1088/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 16 जून 2023 के तहत सभी तहसीलों के उपजिला अधिकारियों और तहसीलदारों को अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरण पत्र भेजे गए इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके उपरांत जो रिपोर्ट जिला अधिकारी कानपुर देहात द्वारा Ref .No.: 2366/R-166/ 2023 दिनांक 16-07-2023 को श्रीमान रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को भेजी गई उस रिपोर्ट को जिला अधिकारी के द्वारा भेजी गई उसका सम्मान करता हूँ

परन्तु अवलोकन करने पर स्वीकार नहीं है जो कि गलत रूप से प्रस्तुत कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को अभिलेखीय रिपोर्ट में बनाकर प्रस्तुत कर दी परन्तु हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई,

माननीय NGT में जाने के पूर्व कई प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी कानपुर देहात को दिए थे उन पर कार्यवाही न होए के बाद ही मैं माननीय NGT के समक्ष याचिका दाखिल की थी जिस पर 19 अप्रैल 2023 के आदेश के उपरांत मेरी द्वारा प्रस्तुत याचिका न तो जिला अधिकारी ने पढ़ी, न उनके द्वारा गठित टीम ने पढ़ी, NGT के आदेश में दो अन्य सदस्यों को जिला अधिकारी महोदय ने उनको पार्टी बनाने को मुनासिब नहीं समझा न उसमें वर्णित पूर्व के प्रार्थना पत्रों को पढ़ा गया न ही उसका निस्तारण कराया गया केवल और केवल ऑफिस में कोई पूर्व की रखी रिपोर्ट को भेज कर फर्जी निस्तारण किया गया

जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें केवल तहसील सिकंदरा कानपुर देहात और डेरापुर तहसील के पत्र संलग्न है जिसमें वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर के तीनो तालाबों से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु मांग की वही अन्य तालाब जो गायब कर दिया गया उनको याचिका में वर्णित करते हुए प्रस्तुत किये गए उसमें पूर्व के कई प्रार्थना पत्रों संलग्न करते हुए प्रस्तुत की गई थी जिस पर दिनांक 19/04/2023 को आज तक माननीय NGT के आदेश पर गठित समिति ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं न ही उस पर कार्यवाही की गई

वही उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के पत्र के संदर्भ ग्रहण करने का कृष्ट करे वही

उपजिला अधिकारी तहसील सिकंदरा द्वारा पत्र संख्या के तहत अपर जिला अधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या 1101/डीएलआरसी- का० दे० तालाब अति०/2023 दिनांक 07-07-2023 के के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की

जिला अधिकारी महोदय कानपुर देहात ने दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हस्ताक्षरित पत्र संख्या 140/ ओएसडी - का० दे०/2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 नई समिति

श्रीमान अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात, अपर जिला अधिकारी वि०/रा०, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात

की रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट है अपर जिला अधिकारी प्रशासन कानपुर देहात ने NGT के आदेश पर जिला अधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन में खुद गया और दो आदेश सभी तहसीलों के उप जिला अधिकारी समस्त तहसील, तहसीलदार समस्त को दो पत्र जारी किये उनको किसी तहसीलदार और उपजिला अधिकारियों ने पालन नहीं किये

तहसीलो के किसी उपजिला अधिकारी महोदयों तहसीलदार महोदयों और अन्य ने के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत तो की गई परन्तु जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई केवल कागजों में रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट दस दिन में बनाकर भेजी अन्य तहसील के उपजिला अधिकारियों ने अपने पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये और रिपोर्ट भेजी गई

जब कि हकीकत में जमीनीस्तर पर कोई जांच नहीं हुई इससे यह रिपोर्ट कई सवाल खड़े कर रही

आपके समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व मेरे द्वारा तालाबों को बचाने हेतु NGT order on dated 18-11-2020 O.A. 325/2015 court No.-02 Item No. -01 Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Versus Union of India & Ors. अनुपालन हेतु पत्र प्रस्तुत किये आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार भवन आई एन ए नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों के उपरान्त आदेश जारी किया आज तक उस आदेश पर कोई आदेश पालन नहीं कराया गया

वही याचिका में दो गाँवों बिलासपुर बांगर तहसील सिकंदरा कानपुर देहात के तीन और अलीपुर रामहार के तालाबों के अतिक्रमण के संदर्भ में याचिका में वर्णित किया परन्तु उसके संदर्भ में जमीनी हकाकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

जब कि पेज संख्या -358, 359 पर तहसीलदार रसूलाबाद के अलीपुर रामहार गाँव में सभी तालाब खाली दिखाए गए परन्तु हकीकत में अतिक्रमण है

मेरे आवेदन में बिलासपुर बांगर में तालाबों पर हुए अतिक्रमण एक तालाब जो गायब उसको रिपोर्ट में कही नहीं दिखाया

जब कि तालाब जल निकासी को लेखपाल संजीव सचान ने रिश्वत लेकर तालाब जल निकासी को रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई

वही पूर्व प्रधान ने पहले तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करने हेतु रूप सिंह को हैण्डम्प नहीं लगा सके जबकि रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की पुलिया पर अतिक्रमण किया गाटा संख्या 539 की जमीन पर कब्जा कराया गया ~

वही जब इस पर इस प्रधान हैडपम्प नहीं लगा पाए उस बाहर सड़क पर 539 और 227 जो रास्ता दर्ज उस पर प्रधानमंत्री आवास उस सुनीता के नाम देकर उस स्थान अतिक्रमण करने के लिए दे दिया कई पत्र लिखने के बाद इसमें राजस्व विभाग, पुलिस थाना अमरहाट और लोक निर्माण विभाग ने मिलकर तालाब जल निकासी को अतिक्रमण करा दिया

उसके उपरान्त मेरे गाँव के तालाब 511 जिसको 2011 से इस तालाब के विकास की मांग कर रहा हूँ इसके लिए सरकार द्वारा 30 लाख 75 हजार स्वीकृति है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार क्रमांक संख्या 18 में वर्णित है

उसका निर्माण सुरु कराने के लिए मांग की, माननीय NGT के आदेश के उपरांत उसके अनुपालन करते हुए तो जिला अधिकारी महोदय ने टीम गठित कर पैमाइस करने का आदेश दिया जिस पर टीम भी आई ग्रामीण जनो ने कहा लेखपाल ने पैमाइस नहीं की पैमाइस तो दूर आज तक उसके जरीब भी नहीं निकाली अतिक्रमण हटाना तो दूर, उसके उपरान्त तीन मुकदमा भी कायम किये परन्तु रिपोर्ट में नहीं दिखाए |

वही गाँव में तालाब के अतिक्रमण की पैमाइस करने गई टीम ने कोई पैमाइस नहीं की केवल तीन अतिक्रमण कर्ताओ पर मुकदमा पंजीकृति किया गया आज तक अन्य अतिक्रमण करातो पर कोई कार्यवाही नहीं की गई कोई कार्यवाही नहीं की गई |

बिलासपुर बांगर के गाटा संख्या 511 के तालाब केवल तीन लोगो पर मुकदमा पंजीकृति किये गए उनके मुकदमा संख्या कंप्यूटरीकृत वाद सं०:T202303400501634,T202303400501635 एवं T202303400501636, दिनांक 26 जून 2023 को किये परन्तु रिपोर्ट में NGT को नहे भेजे गए इससे स्पष्ट है रिपोर्ट कोई अन्य भेजी गई माननीय NGT के आदेशो के उपरान्त आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई |

इसमें वाद संख्या T202303400501635 कुँअर लाल पुत्र धन सिंह पर भी सरकार कर्मचारी महरवान है इसके लड़के के नाम कालनो दी गई जो तालाब में बनवाई गई

इसके इसके विरुद्ध मुकदमा अब दर्ज हो रहा वही इसको तालाब का पट्टा दिया गया इसके बाद इसने चार साल का आज तक राजस्व भी जमा नहीं किया तालाब को दूषित भी किया और दूषित छोड़ा वही अभिलेख याचिका में अंकित है

वही तालाब जल निकासी की तालाब पर अतिक्रमण करने वाले पर कोई कार्यवाही नहीं मेरे 2018 से बराबर तालाब जल निकासी

मेरे द्वारा गाटा संख्या 511 तालाब, तालाब जल निकासी गाटा संख्या 539, 227 का अतिक्रमण जानबूझकर तत्कालीन पंचायत सचिव विकास सिंह पूर्व प्रधान अलका सिंह और तत कालीन खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात और राजव विभाग की उपजिला अधिकारी सिकंदरा, तहसीलदार ने लेखपाल संजीव सचान को संरक्षण देते हुए कराये है इस संदर्भ में जब मैंने RTI के तहत रिपोर्ट माँगी

गई 26 जुलाई 2023 RTI प्रार्थना पत्र जन सूचना अधिकारी /उपजिला अधिकारी कार्यालय सिकंदरा कानपुर देहात, प्रथम अपील जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी प्रशासन कानपुर देहात को प्रथम अपील दिनांक 30 अगस्त 2023 आज तक कोई जबाब नहीं इससे सिद्ध है केवल मन मनगड़ंत करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जमीनी हकीकत में कोई कार्यवाही नहीं की गई

मैं विरोध करता रहा कि तालाब जल निकासी पर बनी पुलिया और रास्ते के रूप में दर्ज जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना कैसे जिस स्थान पर नल नहीं लगा पाई उस स्थान पर यह प्रधानमंत्री आवास बने कैसे यह बहुत ही गंभीर सवाल हैं किन नियमों के तहत बनाया गया इसकी जानकारी 09 बिन्दुओं की सूचनाएं माँगी ।

वही जन सूचना अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी के कार्यालय विकास खंड अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात से दिनांक 05 जुलाई 2023 को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं माँगी तो कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं कराई गई ।

जब यह तीस दिन में कोई सूचनाएं नहीं देने पर 12 अगस्त 2023 को प्रथम अपील को प्रथम आपीले अधिकारी / जिला अधिकारी / अपर जिला अधिकारी प्रशासन जनपद कानपुर देहात से रिपोर्ट माँगी तो आज तक कोई सूचनाएं नहीं मिली ।

परन्तु मेरे प्रथम अपील पत्र को RTI बनाकर, पत्र पत्रांक संख्या -378 / ज० सू० लि०- का० दे० /2022 दिनांक 01 सितम्बर 2023 को जिला अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात के जन सूचना अधिकारी / सुरेश चंद्र सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित कर खंड विकास अधिकारी राजपुर जनपद कानपुर देहात/ जनसूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी राजपुर कानपुर देहात को 09 बिन्दुओं की सूचनाएं मुझ आवेदक को प्राप्त कराने का निर्देश दिया था आज तक अनुपालन नहीं इससे स्पष्ट

है यह तालाब की जल निकासी की पुलिया एवं रास्ता की जमीन पर अतिक्रमण कराकर तालाब जल निकासी जानबूझकर बाधित कराई गई ।

मैंने जो टीम गई 11 जून 2023 को उसको पत्र दिए तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण है उसको जब तक नहीं हटवाया जाएगा तब तक इस तालाब का दूषित पानी नहीं निकलेगा समस्या जस की तस बनी रहेगी तालाब जल निकासी की ओर कुछ लोग अतिक्रमण किये आज तक उनको नहीं हटवाया गया ।

न ही तालाब जल निकासी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले रूप सिंह लाखन सिंह सुनीता कुँअर सिंहआदि तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किये हुए है आदि को आज तक नोटिस नहीं जारी किये गए न ही अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई

वही माननीय NGT ने पुनः 20 जुलाई 2023 को सुनवाई करते हुए मुझे आदेश दिया था जब तालाब के अतिक्रमण की रिपोर्ट हो उसको प्रस्तुत कर उसके लिए अतिशीघ्र तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए

जो रिपोर्ट देखी जाय तो केवल वह काल्पनिक है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जब केवल केवल दो तहसीलों के तालाबों का जिक्र सभी गाटाओ के तालाबों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया परन्तु इस रिपोर्ट पर कैसे विश्वास किया जाय

वही मेरे द्वारा कई RTI आवेदन प्रस्तुत किये उनका भी कोई जबाब नहीं दिया गया

वही मेरे द्वारा दिनांक 03 मई 2023 को सिकंदरा नगर में राजस्व अभिलेखों में 27 तालाब दर्ज है उसको शिकायत संख्या 40016323005491 के तहत सभी तालाबों से अतिक्रमण मुक्त करा उनके पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांग उठाई जिसके निस्तारण में लेखपाल अमरपाल ने दिनांक 29 मई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 72 व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गई परन्तु देखने से यह अवगत हुआ यह कार्यवाही दिसम्बर 2022 की थीकम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 धारा 67 के तहत कार्यवाही करते हुए दर्ज किये गए थे परन्तु माननीय NGT के आदेश 285/2023 अनुपालन में तहसील सिकंदरा ने कोई कार्यवाही नहीं की न ही इन मुकदमों को रिपोर्ट में दिखाया है जो माननीय NGT के समक्ष प्रस्तुत की

वही तहसीलदार महोदय ने कार्यवाही तो नहीं की इन कम्प्यूटरीकृति बाद संख्या T202203400503539 से लेकर T202203400503607 तक इनका निस्तारण तो

नहीं किया परन्तु इन्होंने जून में इन सभी मुकदमों को खारिज करते हुए कार्यवाही सम्पाप्त कर दी इनको रिपोर्ट भेजी गई उसमें कही दर्शाया नहीं है जब की यह सभी मुकदमों 20 जून 2023 को खत्म किये गए वही जब कि यही तहसीलदार महोदया श्रीमती अपूर्णा सिंह तालाबों के संदर्भ में 11 जून 2023 को मेरे गाँव बिलासपुर बांगर में के तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टीम को गई थी मैंने NGT के आदेश के वारे में पूर्ण जानकारी थी इस लिए इन्होंने सभी 69 से 70 मुकदमों एक दिन में खारिज किये परन्तु जो जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई उसमें इनका जिक्र नहीं न ही किसी अन्य न्यायालय में इन बादों को दर्ज किया गया इस लिए यह रिपोर्ट पुराण रूप से असत्य है कोई किसी कर्मचारी ने कार्यवाही नहीं की केवल बंद कमरे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई

वही जो बाद पत्र / ओरिजिनल प्रार्थना पत्र में केवल बिलासपुर बांगर और रसूलाबाद तहसील के अलीपुर राम हार के गाँवों के तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी जिसका आज तक कोई जमीने हकीकत पर कार्यवाही नहीं की गई ~

वही मेरे द्वारा बिलासपुर बांगर को 2010 से तालाबों को बचाने के लिए प्रयासरत हूँ परन्तु कार्यवाही इन्हीं की गई अब भी माननीय NGT के दिनांक 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 के आदेशों के उपरांत कोई कार्यवाही नहीं की गई वही जब की बिलासपुर बांगर के तालाब गाटा 511 के जल निकासी को सरकारी धन का दुरपयोग कराते हुए बंद कराया गया, यह इस लिए कराया गया कि यदि अतिक्रमण ध्वस्त होगा तो अतिक्रमण कर्ता का कोई नुकसान नहीं होगा यदि अतिक्रमण बना रहा तो मेरी जीत होगी और तालाब प्रदूषित होगा एक अच्छी पहल पर रोक लगेगी और तालाब की जल निकासी वाधित भी होगी और यही हुआ आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई

मेरे द्वारा तालाब के पानी के प्रदुषण की जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपूर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 के तहत आया कि तालाब के डेनेज के अभाव में जल निकासी अवरुद्ध है ।

वही यह जल निकासी को रूप सिंह ने तालाब जल निकासी की जमीन पर अतिक्रमण किया जिसकी हम 2018 से शिकायत करते रहे परन्तु रूप सिंह पुलिया तोड़ दी और तालाब जल निकासी अवरुद्ध हुई

जिसको ग्राम पंचायत की प्रधान अलका सिंह ने साजिस के तहत तब हैडपम्प दिया जब लोक निर्माण विभाग ने मेरी शिकायत पर तालाब जल निकासी की पुलिया के

जीर्णोद्धार हेतु पाइप भेजे लेकिन भूमाफिया रूप सिंह ने मना करने पर नहीं डाले इसके चलते जब पुलिया पर नल लगाने में सफल नहीं हुए गाटा संख्या 227 पर पहले से बना इंद्रा आवास को दे सड़क की जमीन पर प्रधानमंत्री वनवाकर अतिक्रमण करा दिया इसके चले वहां पानी जल निकासी बाधित है

इसके अनुपालन हेतु आज तक जितने भी पत्र भेजे उनको संज्ञान लेते उचित कार्यवाही कर सभी प्रपत्रों को संज्ञान ले वही माननीय NGT के समक्ष 242 के साथ पत्र प्रस्तुत किया था जिनको आपके समक्ष भिन्न भिन्न तिथियों में प्रेषित किया जा चुका परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

इसके चलते क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात की शिकायत संख्या 4001632301010062 50016323000006 की रिपोर्टों को संज्ञान और फोटो पर उचित कार्यवाही करते हुए बिलासपुर के तालाबो को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय

इस पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण सादर प्रेषित है

प्रार्थना

श्रीमान जी से विनम्र गुजारिश है कि प्रकरण पर उचित कार्यवाही करते हुए मेरी याचिका में वर्णित तथ्यों बिन्दुवार संज्ञान लेते हुए मेरे याचिका में वर्णित सभी को प्रतिबादी के रूप में नोटिस जारी कर जबाब मांगे और याचिका में वर्णित अनुतोष के साथ साथ माननीय प्रधान बेंच राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा 19/04/2023 और 20 जुलाई 2023 को पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया उसका अक्षरता अनुपालन कराते हुए जिले के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त कराये ।

नोट- आपके द्वारा माननीय NGT के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की वह बंद ऑफिस में तैयार की गई रिपोर्ट है पूर्ण रूप से मिथ्या है हकीकत में आपके द्वारा याचिका को पड़ा नहे गया उसके उपरांत मेरे द्वारा दिए प्रार्थना पत्रों / प्रत्यावेदनों उसके अनुपालन में प्रस्तुत पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की हकीकत में कार्यवाही करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कराये

प्रार्थी

मेघराज सिंह मानव अधिकार RTI कार्यकर्ता

बिलासपुर बांगर सिकंदरा कानपुर देहात

संलग्नक: दिनांक 20-07-2023 को जारी माननीय प्रधान बेंच राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित पादेश की प्रतिलिपि

अन्य पेज संख्या 10 -से 47 तक सभी प्रपत्र फोटो साक्ष्य आदि की प्रतिलिपि प्रतिलिपि :

The Secretary (DoWR,RD&GR)

Ministry of Jal Shakti Government of India, Email id- secy-mowr@nic.in

2-The President Central Pollution Control Board

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

Email id- ccb.cpcb@nic.in

3-The Chief Secretary Govt. of U.P.

Address-101, B Block Lok Bhawan U.P. Secretariat Lucknow Uttar Pradesh-
PIN- 206001,Phone No.-522-2289212, email id- csup@nic.in

4-The Uttar Pradesh Pollution Control Board

Address-Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow,Uttar Pradesh-226010, email-feedback@uppcb.com

5- [The Director Fishery 7 faizabad Road Babujan Luknow](#)

6-The Divisional Commissioner Office

Address-6/12, Neil Rd, Civil Lines, Kanpur Nagar,Uttar Pradesh-208001
Mob No.-9454417502, Email-commkap@up.nic.in

7-The Commissioner of Police Kanpur Zone / IG RANGE KANPUR ZONE

Address-16/12, Neil Rd, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh 208001
Mob.No.-9454400285 Email ID- com-pol.kn@up.gov.in

8-The UP Public Work Department

OFFICE ENGINEER IN CHIEF PWD DEPARMENT LUCKNOW
Uttar Pradesh-5222238740, Email id- encrrlko@gmail.com

9-The President Board of Revenue

address Board Of Revenue Kesarbag Lucknow Uttar Pradesh
LUCKNOW -226001Phone No.-5222217102 Email ld-borlko@nic.in

10- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड 28
0, NH, रनियाँ कानपुर देहात -209304 EMAIL ID- rokanpurdehat@uppcb.in

11-श्रीमान मतस्य अधिकारी जनपद कानपुर देहात

Email id- fisheriesdepartmentkanpurdehat@gmail.com

avanishyadavlko@gmail.com

12 SP Kanpur Dehat/ addsp Kanpur Dehat / CO Sikandra / SO
Amarahat Gohani Sikandra Kanpur Dehat

spkan-

up@nic.in addspknd@gmail.com cosikndraknd1473@gmail.com s
o-amrahat.kd@up.gov.in

13- ADM administration Kanpur Dehat

Email ID- admekan@gmail.com

14- ADM FINANCE AND REVENUE district Kanpur Dehat

Email ID- admfrkan@gmail.com

15-The Sub Divisional Magistrate

Office- Tahseil Sikandra Kanpur Dehat Uttar Pradesh-209125







संक्र. सं. 40/13230
11272

प्रहोदम

संलग्न प्रार्थना पत्र मेधराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण वि० विलासपुर
गाँव पर-व लखनौल-लिकसरा जयपद-कातपुर दे० के द्वारा विमागपा
प्रार्थना पत्र की स्वामीय व अभिलेखीय जांच की गयी जाँच में पता
गया कि राजरव ग्राम विद्यालयपुर गाँव की गारा सं० 511 रचना 0-502
के ठाकाव, गारा सं० 539 रचना 0-061 के व गारा सं० 227 रचना 0-113 के
रास्ता अभिलेखों में अंकित है वर्तमान समय में ठाकाव की गारा सं०
511 में आंशिक भाग पर कब्जा है जिसमें धारा 67 के अन्तर्गत -
श्रीमान लखनौल दार प्रहोदम के माध्याम में वाद मौजिल है तथा
गारे का उक्त भाग खाकी है जिसपर जप्त भय है गारा सं० 539
व 227 में वर्तमान समय में शस्त्र संचालित है आंशिक भागधनी
कावादी के कल धिरा है जल निष्कामी है उक्त गारे से कच्ची
नाली खोदना की गई थी जिससे पानी बालाव का निकल रहा है।
तथा उक्त गारा संख्या 539 व 227 पर भौंडे पर गैर मुमिया प्रदर्शित
नही हो रही है परन्तु ग्राम वासियो द्वारा उक्त जगह पर 3-4
फिट नीचे मुमिया होने की बात कही गयी है - कारवा सेना में
सादर प्रेषित है।

लिखल
क. 819
23/08/23

प्रहोदम लेखक के आदेश के अनुसार कोर्ट के व मेधराज के विरुद्ध
मस्य. सं. 1.3. 2023 असादी।
24-8-23
संक्र.

तालाब पर अतिक्रमण होने के चलते पानी हुआ दूषित, जिले के सैकड़ों तालाबों से प्रशासन नहीं हटवा पाया कब्जा

सिकंदरा। ग्राम पूर्व प्रधान व सचिव की मिलीभगत के चलते तालाब की पुलिया पर गलत तरीके से कब्जा हो जाने के चलते तालाब की जल निकासी न होने के कारण तालाब का पानी दूषित हो गया है जिसके चलते ग्राम में तरह तरह की बीमारियां फैलने का भय ग्रामीणों को सताने लगा है। वहीं जिले के अलग अलग तहसीलों में सैकड़ों तालाबों पर कब्जा जमा हुआ जिसको अभी तक प्रशासन खाली नहीं करा पाया।

जनपद कानपुर देहात के राजपुर विकास खण्ड के बिलासपुर गांव में तालाबों के आस पास व तालाब पर ग्राम प्रधान की सह पर अवैध कब्जा हो जाने कारण तालाब का पानी दूषित हो गया है जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण तालाबों और अन्य सरकारी जमीन को संरक्षण करने का आदेश दे रहे वहीं पर्यावरण रक्षक मानव अधिकार आरटी आई कार्यकर्ता मेघराज सिंह ने तालाब को बचाने हेतु प्रयासरत है वहीं पहले लोक निर्माण विभाग ने तालाब जल निकासी पुलिया का अधूरा निर्माण किया वहीं गांव का पानी तालाब में डालने हेतु चालू पुलिया तालाब जल निकासी की



पुलिया को रूप सिंह पुत्र बनवारी ने पुलिया पर अतिक्रमण करना चाहा पंचायत ने उस पुलिया को तुड़वाकर सरकारी हैंडपंप लगाने का प्रयास किया जब पंचायत नहीं लगा सकी तो उसने उस स्थान पर प्रधानमंत्री आवास बनवाकर तालाब अतिक्रमण करवा दिया इसमें लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सभी ने साजिश के तहत कराया जब कि उसके नाम पहले से इंद्रा आवास बना हुआ था, जब आवेदक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में जनपद कानपुर देहात में गायब हजारों तालाब बचाने की कबायत की याचिका दाखिल कर उनको बचाने का प्रयास

जारी है याचिका संख्या 285/2023, मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य का मामला विचाराधीन है, जब बिलासपुर बांगर का तालाब जो प्रधानमंत्री आवास और अन्य अतिक्रमण कर याचिक कर्ता के अनुसार सभी तहसीलों से जांच आख्या फर्जी रिपोर्ट लगाकर लेखपाल संजीव सचान ने फर्जी जांच आख्या लगाकर अतिक्रमण कराया वहीं राजस्व अभिलेखों में तालाब गाटा 511, 227, और 539 आपस में मिले हुए है फिर भी इन्होंने जान बूझकर इस पर प्रधानमंत्री आवास बनवाकर अतिक्रमण कराया, याचिका में वर्णित अतिक्रमण

तालाबों पर कार्यवाही नहीं केवल आख्या भेजी है। फर्जी तालाब जल निकासी बाधित हुई, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड कानपुर देहात की रिपोर्ट के अनुसार तालाब का पानी दूषित जब कि अन्य को जांच चल रही वहीं रिपोर्ट में आया तालाब से अतिक्रमण हटाते हुए तालाब जल निकासी सुचारू रूप से पानी जल निकासी की पुलिया को संचालन नहीं किया जाएगा तब तक यह समस्या का निदान संभव नहीं है। आवेदक जांच चाहता कि तालाब की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बना कैसे फर्जी रिपोर्ट जारी कर अतिक्रमण करने वाले सभी अधिकारियों पर जांच की मांग की वहीं मेघराज सिंह कई प्रत्यावेदन और आवेदन दिए कि तालाब जल निकासी को बाधित हो रही दूसरी किशत जारी न की जाय परंतु तत्कालीन प्रधान इसको जान बूझकर तालाब जल निकासी बाधित करा दी है। दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही सबसे बड़ा विषय यह कि प्रधानमंत्री आवास बना रास्ते की जमीन पर बना कैसे तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव और अन्य जो दोषी है। जिले की उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें जिससे तालाबों का अस्तित्व बच सके।

Google Maps Bilaspur Bangar



Imagery ©2023 Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2023 20 m



Bilaspur Bangar

बिलासपुर बांगर
Uttar Pradesh 209115

Partly Cloudy · 28°C
6:49 AM

-  Directions
-  Save
-  Nearby
-  Send to phone
-  Share

नकल नकशा जिल्द बन्दोवस्त 1348 फको

मौजा - किलासपुर
पर. वलद - भीमनीपुर
जिला - कानपुर



5891
नकल प्रार्थना पत्र संख्या 13/6/22
नकल प्रार्थना पत्र की दिनांक मेघनाथ सिंह
प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2022
नकल तैयारी की दिनांक 15.06.2022
शब्द दायरा
टिकट का Re. 12/-

हस्ताक्षर नकल तैयार कर्ता...
नकल निलाम कर्ता... दायरा

प्रमाणित
अभिलेखपाल
राजस्थान अभिलेखागार
कलकत्ता कानपुर देहात
15/6/22

संज्ञा सं० ५००/६३२३०
११२७२

महोदय

संसद प्रार्थना पत्र मेघराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण वि० विलासपुर
गाँव पर-ब लखनौ-सिद्धा जनपद काठपुर दे० के द्वारा विभाग
प्रार्थना पत्र की स्वीकृति व आभिलेखीय प्राप्त की गयी है।
गया कि राजरव गाँव विद्यालय पुत्र गाँव की गारा सं० ५११ रचना० ५०२
के लक्षण, गारा सं० ५३९ रचना० ००६१ हे० व गारा सं० २२७ रचना० ११३ के
रास्ता आभिलेखीय में अंकित है वर्तमान समय में लक्षण की गारा सं०
५११ में आभिलेखीय भाग पर कब्जा है जिसमें धारा ६७ के अन्तर्गत -
श्रीमान लखनौ दाट महोदय के माध्याम में वाद मौजिद है तथा
गौरे का उक्त भाग खासी है जिसपर जल भय है गारा सं० ५३९
व २२७ में वर्तमान समय में शस्त्र संचालित है आभिलेखीय भाग
आवादी के अन्तर्गत जल निष्कासी है उक्त गौरे से कच्ची
नाली खोदवा दी गई थी जिससे पानी बालाव का निकल रहा है।
तथा उक्त गारा संख्या ५३९ व २२७ पर भीड़ पर जैड मुनिमा प्रदर्शित
वही हो रही है परन्तु गाम बासिमो का उक्त जगह पर ३-४
फिट नीचे मुनिमा होने की बात कही गयी है - कारवा सेना में
सादर प्रेषित है।

सिद्धा
काठपुर
२३/०८/२३

महोदय
मेघराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण वि० विलासपुर
मकान सं० ५११ काठपुर जिला गया
२५-८-२३
४२३

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
कानपुर देहात।
Office of the Executive Engineer,
Provincial Division, P.W.D., Kanpur Dehat.

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग



कार्यालय बारा,
मुख्यालय माती,
कानपुर देहात।
Pin Code - 209311
E-mail pdpwdtd@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक :

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
कानपुर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश ले0 कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेरॉय बनाम भारत सरकार एवं अन्य का अनुपालन करते हुए बिलासपुर बांगर सहित जिले के अन्य तालाबों की रक्षा किये जान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व्यवस्थापन ग' वर्ग का पत्रांक 47व्यग/01व्यग(05)/2002 दिनांक 21.04.2023 एवं आपका कार्यालय पृष्ठांकन पत्रांक 11277सी/23सी0-का0पू0/2023 दिनांक 01.05.2023

महोदय,

उपरोक्त शिकायत के क्रम में अकमत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा जो अछूरी पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, वह पुलिया लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी है और न ही पुलिया निर्माण की कोई स्वीकृति प्राप्त हुयी है। तालाब की जल निकासी का प्रकरण लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है एवं लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है।

आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
कानपुर देहात।

पत्रांक : 1012/4m

दिनांक : 11/07/2023

प्रतिलिपि : मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर को उपरोक्त सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मेघराज सिंह मानव अधिकार आर.टी.आई. कार्यकर्ता, ग्राम बिलासपुर, पोस्ट अरसुन सिकन्दरा, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
कानपुर देहात।

संक्र. सं. 400/13230
11272

प्रहोदम

संलग्न प्रार्थना पत्र मेधराज सिंह पुत्र श्री कृष्ण वि० विलासपुर
गाँव पर-ब लखनौल-लिकसरा जयपद-कातपुर दे० के द्वारा विमागपा
प्रार्थना पत्र की स्वामीय व अभिलेखीय जांच की गयी जाँच में पता
गया कि राजरव ग्राम विद्यालयपुर गाँव की गारा सं० 511 रचना 0-502
के ठाकाव, गारा सं० 539 रचना 0-061 के व गारा सं० 227 रचना 0-113 के
रास्ता अभिलेखों में अंकित है वर्तमान समय में ठाकाव की गारा सं०
511 में आंशिक भाग पर कब्जा है जिसमें धारा 67 के अन्तर्गत -
श्रीमान लखनौल दार प्रहोदम के -मायालय में वाद मौजिल है तथा
गारे का उक्त भाग खाकी है जिसपर जप्त भय है गारा सं० 539
व 227 में वर्तमान समय में शस्त्र संचालित है आंशिक भागधनी
आवादी के अलावा चिरा है जल निष्कामी है उक्त गारे से कच्ची
नाली खोदना की गई थी जिससे पानी बालाव का निकल रहा है।
तथा उक्त गारा संख्या 539 व 227 पर भौंडे पर गैर मुमिया प्रदर्शित
नही हो रही है परन्तु ग्राम वासियो द्वारा उक्त जगह पर 3-4
फिट नीचे मुमिया होने की बात कही गयी है -कारण सेना में
सादर प्रेषित है।

लिखल
क. 819
23/08/23

प्रहोदम लेखक के आदेश के अनुसार श्री हनुमान के आदेश के अनुसार
मस्य: हा. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

जिले के अमृत सरोवर दुर्दशा का शिकार पूर्व के तालाबों से भी बदतर हैं सरोवरों के हालात

— सिंघाड़े के फल को बचाने के लिए होगा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जलीय जंतुओं की होगी भीते।
— मैथा ब्लॉक के मांडा ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर में हो रही सिंघाड़े की फसल अवैध कच्चे के भी आरोप।

(अखिल सुकाना नगरपालिका धरमपुर)

अमृत सरोवर। एक लोक जिला प्रशासन धरमपुर जल सार को संयुक्त बनाए रखने एवं तालाबों के रखरखाव को संभालने के उद्देश्य से गांव में अमृत सरोवर के निर्माण पर करोड़ों रुपए पानी की सार बहाया जा रहा है। आगामी 15 अगस्त पर इन अमृतसरोवर पर शाहीरी के सिस्टर लाने के साथ धरमपुर जिला का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विकासखंड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न कर्मचारियों की जलसंधारण के चलते तालाबों पर अवैध कच्चे हो रहे हैं। औरत और तालाबों में शीतलपत्र एक बने छह हैं जबकि इन तालाबों में अवैध कच्चा है और अमृत सरोवर आज भी अंधे घड़े हैं कहीं नदियों का पानी कहीं सींचाया हो कहीं गोबर के छेर अमृतसरोवर में अपना अमृत का जिला प्रशासन को एकाग्रता बना रहा है यही जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे सदगी धरमपुर जिला को 75 में अमृतकार में भी ऐसी



अमृतसरोवर को सुधारने में पूरी तरीके से नाकाम दिखा रही आज भी धरमपुर के द्वारा सारवाए अमृत सरोवर में सिंघाड़े की बेज डालकर लोग उसकी अवैधता को समाप्त करने में लगे हैं। लेकिन जिम्मेदार लोग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जलसंधारण से लेकर जिला प्रशासन तक ग्राम पंचायतों के तालाबों को पुनः स्वरूप प्रदान करने एवं वर्षा जंतु के पानी को संचित करने के साथ धरमपुर जल सार में सुधार के लिए गांव गांव सारवाए के साथ अमृत सरोवर का भी निर्माण कराया जा रहा है अमृत सरोवर के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद इनमें एक धूर अमृत संचित नहीं हो पा रहा है

कितने अमृत सरोवर के तालाबों में लोग कच्चे करने लगे हैं। मैथा विकासखंड की धरम पंचायत मांडा मैथा में अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। बीती 26 जनवरी को धरमपुर जिला करने के साथ धरमपुर पर सैल्फी भाइट बनाया गया था लेकिन अवैध कच्चेवादी ने सैल्फी भाइट को सौकर प्रतिकार कर दिया। और अमृत सरोवर के लिए विहित तालाब में सिंघाड़े की बेज डालकर कच्चा कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तरीय अधिकारी तालाबों पर हो रहे कच्चे के प्रति सजीवगी नहीं दिखा रहे हैं इससे अमृत सरोवर कागली तक ही सीमित होकर रह गए हैं। हालात यह

है कि जलसंधारण में लोग तालाबों के अवैधता के लिए साकट बन गए हैं। अमृत सरोवर निर्माण योजना का कागजी पर भरोसा जा रही है और तालाबों में अमृत संचित नहीं हो पा रहा है। सिंघाड़े की बेज डालने के बाद इनमें कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से अनेक जलीय जंतु मीठ के शिकार हो जाएंगे। और तालाब का पानी भी विहित हो जाएगा इससे तालाबों में अमृत के बजाय जलर के संचित करने का इराजाम चल रहे हैं। मामले पर संत विकास अधिकारी मैथा कमलेश कुमार ने बताया कि प्रकल्प की जलसंधारण नहीं है धरमपुर से जानकारी करने के बाद कचेवादी की जाएगी।

गांव में बने अंतोर्ण्डि माल प्रयोग के बिना ही हो













वही राजस्व सिकंदरा नगर पालिका के 69 तालाब अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध चल रहे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67 के बाद खारिज किये यह सभी आदेश 20 जून 2023 जारी किये परन्तु श्रीमान जिला अधिकारी कानपुर देहात द्वारा Ref .No.: 2366/R-166/ 2023 दिनांक 16-07-2023 को श्रीमान रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच फरीद कोट हाउस कॉपर निक्स मार्ग नई दिल्ली को भेजी गई उसमें इन तालाबों का जिक्र उपजिला जिला अधिकारी सिकंदरा और संबंधित कर्मचारियों ने नहीं किया यह सभी मुकदमे तहसीलदार अपूर्णा सिंह ने समाप्त किये

समाप्त किये गए मुकदमों की लिस्ट निम्नवत है -

तहसीलदार	2398/2022	T202203400502398	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 34/35	लंबित	श्रीमती प्रेमलता चिन्तारमण		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	15/08/2022	19/09/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	2395/2022	T202203400502395	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 34/35	लंबित	श्रीमती अर्चना देवी आशीष कुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	15/08/2022	18/09/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	110/2007- 2008	T202103400500762	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 34/35	निस्तारित निस्तारण तिथि :-08/03/2021	गोपाल बाबू आदि महावीर प्रसाद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	05/03/2021	08/03/2021	विवरण देखें
तहसीलदार	3607/2022	T202203400503607	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा अरूण कुमार कटियार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3606/2022	T202203400503606	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा आदित्य		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3605/2022	T202203400503605	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा गणफार अहमद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3604/2022	T202203400503604	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सफीउद्दीन		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3603/2022	T202203400503603	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सरोजनी देवी		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3602/2022	T202203400503602	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा रमाकान्त		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	1138/2022	T202203400501138	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 34	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2022	अमित कुमार आदि अमर सिंह		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	05/05/2022	20/06/2022	विवरण देखें
तहसीलदार	3601/2022	T202203400503601	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -	निस्तारित निस्तारण	ग्रामसभा सोहल		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें

			2006 67	तिथि :-20/06/2023							
तहसीलदार	3600/2022	T202203400503600	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा मदरसा आले मुस्तपा		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3599/2022	T202203400503599	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा अनवार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3598/2022	T202203400503598	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा कलीम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3597/2022	T202203400503597	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सलीम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3596/2022	T202203400503596	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा भूरा		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3595/2022	T202203400503595	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा मुस्ताक अहमद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3594/2022	T202203400503594	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा मो0 अहमद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3593/2022	T202203400503593	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा नूर अहमद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3592/2022	T202203400503592	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा कदीर		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3590/2022	T202203400503590	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -	निस्तारित निस्तारण	ग्रामसभा राम आसरे		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें

			2006 67	तिथि :-20/06/2023							
तहसीलदार	3589/2022	T202203400503589	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा राम औतार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3588/2022	T202203400503588	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा त्रिभुवन		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3587/2022	T202203400503587	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा श्रीपति		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3586/2022	T202203400503586	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा असलम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3585/2022	T202203400503585	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सुलेमान		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3584/2022	T202203400503584	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा संजय कुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3583/2022	T202203400503583	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा उजागरलाल		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3582/2022	T202203400503582	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा अनीता		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3581/2022	T202203400503581	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सुरेश बाबू		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3580/2022	T202203400503580	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा शिवकुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें

			2006 67	तिथि :-20/06/2023							
तहसीलदार	3568/2022	T202203400503568	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सुशील कुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3567/2022	T202203400503567	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा सन्तोष कुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3566/2022	T202203400503566	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा देवीप्रसाद		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3565/2022	T202203400503565	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा श्रीराम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3564/2022	T202203400503564	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा दमयन्ती		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3563/2022	T202203400503563	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा महादेव		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3562/2022	T202203400503562	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा अब्दुल रज्जाक		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3561/2022	T202203400503561	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा कमला देवी		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3560/2022	T202203400503560	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-14/02/2023	ग्रामसभा जगराम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	14/02/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3559/2022	T202203400503559	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -	निस्तारित निस्तारण	ग्रामसभा जगराम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	14/02/2023	विवरण देखें

			2006 67	तिथि :-14/02/2023							
तहसीलदार	3558/2022	T202203400503558	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा जगराम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3557/2022	T202203400503557	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	लंबित	ग्रामसभा विशम्भर		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	19/09/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3556/2022	T202203400503556	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा रामस्वरूप		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3555/2022	T202203400503555	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा समशान		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3554/2022	T202203400503554	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा इंतजार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3553/2022	T202203400503553	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा करिया		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3552/2022	T202203400503552	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा रामू		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3551/2022	T202203400503551	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा गुज्जा		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3550/2022	T202203400503550	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा महेश सिंह		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3549/2022	T202203400503549	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा मुकेश कुमार		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें

तहसीलदार	3548/2022	T202203400503548	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा लालजी		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3547/2022	T202203400503547	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा दारा		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3546/2022	T202203400503546	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा नीलम		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3545/2022	T202203400503545	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा प्रकाशचन्द्र		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3544/2022	T202203400503544	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा राजेश		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3543/2022	T202203400503543	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा रवी		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3542/2022	T202203400503542	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा प्रकाश		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3541/2022	T202203400503541	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा महेश		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3540/2022	T202203400503540	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा मुन्नु		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
तहसीलदार	3539/2022	T202203400503539	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 67	निस्तारित निस्तारण तिथि :-20/06/2023	ग्रामसभा रामखिलावन		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	09/12/2022	20/06/2023	विवरण देखें
उपजिलाधिकारी	3222/2022	T202203400503222	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -	लंबित	सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर		सिकन्दरा	सिकन्दरा नगर	01/11/2022	05/10/2023	विवरण देखें



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503607
वाद संख्या:- 3607/2022
ग्रामसभा बनाम अरूण कुमार कटियार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवेध अध्यासी अरूण कुमार कटियार पुत्र सालिगराम निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ०नं० 1058मि रकबा 1.680 हे० के रकबा 0.0150 हे० तालाब की भूमि पर सन् 1992 से पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवेध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्भरण खतौनी की प्रति संलग्न है। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवेध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवेध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी०पी०एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी०पी०एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवेध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी०पी०एक्ट के तहत मा० न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था। मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवेध अध्यासी अरूण कुमार कटियार पुत्र सालिगराम निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचना है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल : कानपुर, जनपद : कानपुर देहात, तहसील : सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503606
वाद संख्या:- 3606/2022
ग्रामसभा बनाम आदित्य
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023
निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी आदित्य पुत्र स्व० सोबरन सिंह निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ०नं० 1058मि रकबा 1.680 हे० के रकबा 0.0100 हे० तालाब की भूमि पर सन् 1992 से पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्घरण खतौनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी०पी०एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी०पी०एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी०पी०एक्ट के तहत मा० न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी आदित्य पुत्र स्व० सोबरन सिंह निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503605
वाद संख्या:- 3605/2022
ग्रामसभा बनाम गफ्फार अहमद
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023
निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी गफ्फार अहमद पुत्र इनायत अली निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ०नं० 1058मि रकबा 1.680 हे० के रकवा 0.0120 वर्ग मी० तालाब की भूमि पर सन् 1992 से पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्भरण खतोनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी०पी०एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी०पी०एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी०पी०एक्ट के तहत मा० न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी गफ्फार अहमद पुत्र इनायत अली निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अखतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503604
वाद संख्या:- 3604/2022
ग्रामसभा बनाम सफीउद्दीन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023
निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी सफीउद्दीन पुत्र अमीरउल्ला निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ0नं0 1058 मि0 रकबा 1.680 हे0 के रकबा 0.0120 वर्ग मी0 तालाब की भूमि पर सन् 1992 से पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरो व मूल उद्घरण खतौनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरूद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी0पी0एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी0पी0एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी0पी0एक्ट के तहत मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी सफीउद्दीन पुत्र अमीरउल्ला निवासी सिकन्दरा नगर के विरूद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503603
 वाद संख्या:- 3603/2022
 ग्रामसभा बनाम सरोजनी देवी
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
 " अंतिम आदेश "

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी रामाधार निवासिनी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ0नं0 1003 रकबा 0.307 हे0 के रकबा 0.0093 हे0 तालाब की भूमि पर सन् 1992 से मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्घरण खतोनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी0पी0एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी0पी0एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी0पी0एक्ट के तहत मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी रामाधार निवासिनी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)

असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
 पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
 कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503602
वाद संख्या:- 3602/2022
ग्रामसभा बनाम रमाकान्त
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023
निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी रमाकान्त पुत्र मनोहरलाल निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ०नं० 1007 रकबा 0.307 हे० के रकवा 0.0093 हे० तालाब की भूमि पर सन् 1990 से मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्धारण खतोनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी०पी०एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी०पी०एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी०पी०एक्ट के तहत मा० न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी रमाकान्त पुत्र मनोहरलाल निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :कानपुर , जनपद :कानपुर देहात , तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503601
वाद संख्या:- 3601/2022
ग्रामसभा बनाम सोहेल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/06/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी सोहेल पुत्र शराफत निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ०नं० 1117 रकबा 0.428 हे० के रकबा 0.0020 हे० तालाब की भूमि पर सन् 1992 से पक्की दुकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्घरण खतौनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी०पी०एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी०पी०एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी०पी०एक्ट के तहत मा० न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी सोहेल पुत्र शराफत निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)
असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503600
वाद संख्या:- 3600/2022
ग्रामसभा बनाम मदरसा आले मुस्तफा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अन्तर्गत धारा:- 67
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/06/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी मदरसा आले मुस्तफा प्रबन्धक अजीम निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ0नं0 1117 रकबा 0.428 हे0 के रकबा 0.0140 वर्ग मी0 तालाब की भूमि पर सन् 1992 से मदरसा पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्घरण खतौनी की प्रति संलग्न है। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी0पी0एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी0पी0एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी0पी0एक्ट के तहत मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी मदरसा आले मुस्तफा प्रबन्धक अजीम निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(पूर्णिमा सिंह)

असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचना है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :कानपुर, जनपद :कानपुर देहात, तहसील :सिकन्दरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202203400503600

वाद संख्या:- 3600/2022

ग्रामसभा बनाम मदरसा आले मुस्तफा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 67

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/06/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व संहिता की धारा-67(1) के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र-19 पर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि अवैध अध्यासी मदरसा आले मुस्तफा प्रबन्धक अजीम निवासी सिकन्दरा नगर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ग्राम सिकन्दरा नगर की आ0नं0 1117 रकबा 0.428 हे0 के रकबा 0.0140 वर्ग मी0 तालाब की भूमि पर सन् 1992 से मदरसा पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिससे गांवसभा को क्षति हुई है। उक्त भूमि से अवैध अध्यासी को बेदखल किये जाने एवं क्षतिपूर्ति से आरोपित किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। लेखपाल की रिपोर्ट के साथ में नजरी नक्शा व खसरा व मूल उद्धारण खतौनी की प्रति संलग्न है।

नियमानुसार वाद पंजीकृत कर राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र-20 पर नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। नोटिस तामील होने के उपरान्त अवैध अध्यासी की ओर से कोई हाजिर नहीं आया।

दिनांक 13-06-2023 को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम सिकन्दरा नगर की गाटा संख्या 428, 449, 458, 477, 968, 969, 960, 981, 1003, 1058, 1117 कुल 11 गाटे, जिसमें आंशिक भागों पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, किन्तु सिकन्दरा नगर वर्तमान समय में नगर पंचायत होने के कारण धारा-67 की कार्यवाही नियम विरुद्ध है, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा होने के कारण पी0पी0एक्ट का वाद दायर होना विधिक है। ग्राम सिकन्दरा नगर की उक्त गाटा संख्याओं में की गयी कार्यवाही धारा-67 को पी0पी0एक्ट में परिवर्तन/स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।

दिनांक 12-06-2023 को ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया आपके न्यायालय में राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत नगर पंचायत सिकन्दरा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा से सम्बन्धित उपरोक्त वाद धारा-67 के अन्तर्गत चलन योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि ग्रामसभा की भूमि नहीं है, बल्कि नगर पंचायत की भूमि है। उपरोक्त वादों को लेखपाल द्वारा दाखिल किया गया, जबकि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि से सम्बन्धित वाद अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरा द्वारा पी0पी0एक्ट के तहत मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी सिकन्दरा के यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था।

मेने पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सभा नामिका अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 13-06-2023 का सम्यक अवलोकन किया, जिसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि उक्त वाद की कार्यवाही इस न्यायालय से समाप्त करते हुये अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत उक्त आराजी से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अवैध अध्यासी मदरसा आले मुस्तफा प्रबन्धक अजीम निवासी सिकन्दरा नगर के विरुद्ध धारा-67(1) की कार्यवाही समाप्त की जाती है। क्षेत्रीय लेखपाल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत सिकन्दरा को आदेश की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त आराजी का वाद पी0पी0एक्ट के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में तत्काल योजित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

(पूर्णमा सिंह)

असिस्टेंट कलेक्टर(प्रथम श्रेणी)/
पीठासीन अधिकारी, सिकन्दरा
कानपुर देहात।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

इन अधिकारियों ने तालाब बचाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की केवल NGT के समक्ष फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की है हकीकत में तालाब बचाने हेतु कार्यवाही नहीं की पूरी टीम ने मेरी याचिका को पढ़ा तक नहीं

NGT के समक्ष दार याचिका कर्ता

मेघराज सिंह मानव अधिकार RTI कार्यकर्ता

ग्राम बिलासपुर बांगर तहसील सिकंदरा जनपद कानपुर देहात